



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

31 भाद्र, 1944 (श०)

संख्या - 464 राँची, गुरुवार,

22 सितम्बर, 2022 (ई०)

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

22 सितम्बर, 2022

संख्या-एल०जी०-04/2022-28—लेज० झारखंड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर माननीय राज्यपाल दिनांक-19/09/2022 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है।

अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2022

(झारखण्ड अधिनियम संख्या-09, 2022)

झारखण्ड राज्य में अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय की स्थापना और निगमन के लिए, और उसे एक निजी विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने और उससे जुड़े और उसके आनुषंगिक मामलों का प्रावधान करने के लिए अधिनियम;

जबकि राँची, झारखण्ड में अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय की स्थापना और निगमन के लिए, उसे एक निजी विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने के लिए और उससे जुड़े और उसके आनुषंगिक मामलों के लिए प्रावधान करना समीचीन है, जो कि अज़ीम प्रेमजी फ़ाउण्डेशन फ़ॉर डेवलपमेंट द्वारा प्रवर्तित है, और कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 (अब कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 8) के तहत लाइसेंस प्राप्त एक (गैर-लाभकारी) कम्पनी है, जिसका पंजीकृत कार्यालय #134, डोड्डाकनेल्ली, विप्रो कॉर्पोरेट कार्यालय के निकट, सरजापुर रोड, बेंगलूरु – 560 035 है; जो अज़ीम प्रेमजी फ़ाउण्डेशन की सामान्य पहचान के तहत परोपकारी संस्थानों के समूह का हिस्सा है। विश्वविद्यालय एक बहु-अनुशासनात्मक संस्थान होगा, जो उच्च शिक्षा में अनुसंधान और अभ्यास के प्रत्यक्ष योगदान के माध्यम से समाज की सेवा के लिए प्रतिबद्ध होगा। यह अधिनियम राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 की वास्तविक भावना को साकार करेगा। इसे भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में झारखण्ड का विधानसभा एतद् द्वारा अधिनियमित करता है, जो निम्नानुसार है:

अध्याय-I

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारम्भ:

- (1) इस अधिनियम को "अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2022" कहा जाएगा।
- (2) इसका विस्तार पूरे झारखण्ड राज्य में होगा।
- (3) यह उस तिथि को लागू होगा, जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. परिभाषाएँ: इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ के अनुसार अन्यथा अपेक्षित न हो:

- (क) "अकादमिक परिषद्" का अर्थ है विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद्, जैसा कि अधिनियम की धारा 23 में निर्दिष्ट है;
- (ख) "वार्षिक प्रतिवेदन" का अर्थ है विश्वविद्यालय की वार्षिक प्रतिवेदन जैसा कि अधिनियम की धारा 37 में सन्दर्भित है;
- (ग) "प्रबन्ध मण्डल" का अर्थ है अधिनियम की धारा 22 के तहत गठित विश्वविद्यालय का प्रबन्ध मण्डल;
- (घ) "परिसर" का अर्थ विश्वविद्यालय का कुल क्षेत्रफल है जिसमें यह स्थापित है;
- (ङ) "कुलाधिपति" का अर्थ अधिनियम की धारा 13 के तहत नियुक्त विश्वविद्यालय के कुलाधिपति से है;
- (च) "मुख्य वित्त और लेखा अधिकारी" का अर्थ है अधिनियम की धारा 18 के तहत नियुक्त विश्वविद्यालय का मुख्य वित्त और लेखा अधिकारी;
- (छ) "अंगीभूत महाविद्यालय" का अर्थ विश्वविद्यालय द्वारा संचालित महाविद्यालय या संस्थान से है;
- (ज) "कर्मचारी" का अर्थ विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कर्मचारी है, और इसमें विश्वविद्यालय या किसी अंगीभूत महाविद्यालय के शिक्षक और अन्य कर्मचारी शामिल हैं;

- (झ) "अक्षय निधि" का अर्थ है अधिनियम की धारा 35 के तहत स्थापित विश्वविद्यालय की अक्षय निधि;
- (ञ) "संकाय" का अर्थ समान विषयों के शैक्षणिक विभागों का समूह है;
- (ट) "शुल्क" का अर्थ है विश्वविद्यालय द्वारा, विश्वविद्यालय में अध्ययन के किसी भी पाठ्यक्रम और उसके आनुषंगिक उद्देश्य के लिए विद्यार्थियों से किया गया संग्रह;
- (ठ) "सामान्य निधि" का अर्थ है अधिनियम की धारा 36 के तहत स्थापित विश्वविद्यालय की सामान्य निधि;
- (ड) "शासी निकाय" का अर्थ है अधिनियम की धारा 21 के तहत गठित विश्वविद्यालय का शासी निकाय;
- (ढ) "राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद" का अर्थ है राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद, बेंगलुरु, जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की एक स्वायत्त संस्था है;
- (ण) "विहित" का अर्थ है इस अधिनियम के तहत बनाए गए परिनियम और नियमों द्वारा विहित;
- (त) "प्रति कुलपति" का अर्थ है अधिनियम की धारा 16 के तहत नियुक्त विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति;
- (थ) "क्षेत्रीय केन्द्र" का अर्थ विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी क्षेत्र में अध्ययन केन्द्रों के काम के समन्वय और पर्यवेक्षण के उद्देश्य से, और प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रदत्त अन्य कार्यों को करने के लिए, स्थापित या संचालित केन्द्र से है;
- (द) "कुलसचिव" का अर्थ अधिनियम की धारा 17 के तहत नियुक्त विश्वविद्यालय के कुलसचिव से है;
- (ध) "नियामक निकाय" का अर्थ है उच्च शिक्षा के शैक्षणिक मानकों को सुनिश्चित करने हेतु मानदण्ड और शर्तें निर्धारित करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित निकाय, जैसा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, भारतीय विधिज्ञ परिषद, भारतीय फार्मसी परिषद, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद, भारतीय नर्सिंग परिषद, भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसन्धान परिषद आदि, और इसमें सरकार अथवा भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा गठित ऐसा कोई भी निकाय शामिल है;
- (न) "नियम" का अर्थ है इस अधिनियम के तहत बनाए गए विश्वविद्यालय के नियम;
- (प) "अनुसूची" का अर्थ है इस अधिनियम से जुड़ी अनुसूची
- (फ) विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में "प्रायोजक निकाय" का अर्थ है (i) सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत एक सोसायटी, या (ii) भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 के तहत पंजीकृत एक सार्वजनिक ट्रस्ट, या (iii) किसी अन्य राज्य के कानून के तहत पंजीकृत एक सोसायटी या ट्रस्ट, अथवा (iv) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के तहत निगमित कम्पनी या कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत निगमित कम्पनी;
- (ब) "राज्य सरकार" का अर्थ है झारखण्ड सरकार;

- (भ) "परिनियम", "अध्यादेश", और "विनियम" का अर्थ क्रमशः इस अधिनियम के तहत निर्मित विश्वविद्यालय के परिनियम, अध्यादेश और विनियम हैं;
- (म) "विश्वविद्यालय के विद्यार्थी" का अर्थ विश्वविद्यालय में एक शोध डिग्री सहित विश्वविद्यालय द्वारा विधिवत रूप से स्थापित डिग्री, डिप्लोमा, या अन्य अकादमिक विशिष्टता के अध्ययन के लिए विश्वविद्यालय में नामांकित व्यक्ति से है;
- (य) "अध्ययन केन्द्र" का अर्थ है विद्यार्थियों को सलाह देने, परामर्श देने या कोई अन्य आवश्यक सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित, संचालित या मान्यता प्राप्त केन्द्र;
- (र) "शिक्षक" का अर्थ है एक प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक या ऐसा कोई अन्य व्यक्ति जिसे विश्वविद्यालय में अथवा अंगीभूत महाविद्यालय या संस्थान में, जिनमें अंगीभूत महाविद्यालय या संस्थान के प्राचार्य शामिल हैं, शिक्षण या शोध करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप नियुक्त किया गया हो;
- (ल) "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग" का अर्थ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के तहत स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है;
- (व) "विश्वविद्यालय" का अर्थ है इस अधिनियम के तहत स्थापित अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय, झारखण्ड;
- (श) "कुलपति" का अर्थ अधिनियम की धारा 14 के तहत नियुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति से है;
- (ष) "कुलाध्यक्ष" का अर्थ है अधिनियम की धारा 11 में निर्दिष्ट विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष।

अध्याय-II

विश्वविद्यालय और प्रायोजक निकाय

3. विश्वविद्यालय की स्थापना:

- (1) 'अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय' नाम से विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी।
- (2) विश्वविद्यालय का मुख्यालय झारखण्ड राज्य के भीतर होगा और राँची जिला में स्थित होगा।
- (3) राज्य सरकार द्वारा प्राधिकार-पत्र जारी करने के बाद ही विश्वविद्यालय संचालन शुरू करेगा।
- (4) विश्वविद्यालय निर्धारित समय के भीतर अधिनियम की अनुसूची 'ए' में उल्लिखित शर्तों को पूरा करेगा।
- (5) शासी निकाय, प्रबन्ध मण्डल, अकादमिक परिषद, कुलाधिपति, कुलपति, प्रति कुलपति, कुलसचिव, शिक्षक, मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी और ऐसे अन्य अधिकारी या सदस्य या प्राधिकारी, जब तक वह विश्वविद्यालय के पद पर या सदस्य बने रहते हैं, तब तक वे विश्वविद्यालय के नाम से एक निगमित निकाय का गठन करते हैं।

- (6) विश्वविद्यालय गैर- सम्बद्ध विश्वविद्यालय के रूप में कार्य करेगा, और यह किसी अन्य महाविद्यालय या संस्थान को डिग्री, डिप्लोमा प्रदान करने और उसमें प्रवेशित विद्यार्थियों को प्रमाण-पत्र देने के लिए सम्बद्ध नहीं करेगा ।
- (7) विश्वविद्यालय 'अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय' नाम से एक निगमित निकाय होगा जिसके पास शास्वत उत्तराधिकार होगा, और इसे इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत सम्पत्ति के अधिग्रहण और उसका स्वामित्व रखने, अनुबंध पर देने आदि की शक्ति के साथ एक सामान्य मुहर होगी, तथा वह दिए गए नाम पर वाद चला सकेगा, या उस पर वाद चलाया जा सकेगा ।
- (8) विश्वविद्यालय को राज्य सरकार या केन्द्र सरकार से कोई सहायता अनुदान या अन्य वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं होगी ।
- (9) बशर्ते कि राज्य सरकार या केन्द्र सरकार वित्तीय सहायता प्रदान कर सकती है, जिसमें अनुदान या अन्य शामिल हैं, अर्थात्-
 - (क) अनुसन्धान, विकास और अन्य गतिविधियों के लिए, जिसके लिए राज्य सरकार के अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है; या
 - (ख) किसी विशिष्ट शोध या कार्यक्रम आधारित गतिविधि के लिए; तथा
 - (ग) राज्य में समान विश्वविद्यालयों के लाभ के लिए राज्य की नीति में बदलाव के अधीन या अन्यथा ।

इसके साथ ही यह भी कि विश्वविद्यालय को किसी अन्य स्रोत से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त हो सकती है ।

4. विश्वविद्यालय की सम्पत्ति और उसके अनुप्रयोग:

- (1) विश्वविद्यालय की स्थापना पर, झारखण्ड राज्य में विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा अर्जित, व्यवस्थित, निर्मित और विकसित अन्य चल एवं अचल सम्पत्ति और भूमि विश्वविद्यालय में निहित होगी।
- (2) विश्वविद्यालय के लिए अर्जित भूमि, भवन और अन्य सम्पत्तियाँ जिस उद्देश्य से अर्जित की गई हैं उसके अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं की जाएंगी।
- (3) प्रबन्ध मण्डल द्वारा विश्वविद्यालय की चल या अचल सम्पत्तियों को इस प्रकार से प्रशासित किया जाएगा, जैसा कि अधिनियमों द्वारा प्रदत्त किया गया हो।
- (4) उप-धारा (1) के तहत विश्वविद्यालय के नाम पर दर्ज सम्पत्तियों को विश्वविद्यालय के विघटन या समापन की स्थिति में विश्वविद्यालय की देनदारियों को पूरा करने के लिए उस तरह से उपयोग में लाया जाएगा, जैसा कि नियमों द्वारा विहित है ।

5. विश्वविद्यालय के निर्बन्धन और दायित्व:

- (1) विश्वविद्यालय में अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, प्रबन्धन आदि जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का शिक्षा शुल्क राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित नियामक संस्था के पर्यवेक्षण के तहत निर्धारित किया जाएगा।
- (2) विश्वविद्यालय में प्रवेश सभी व्यक्तियों के लिए खुले होंगे, चाहे वे किसी भी जाति, वर्ग, पंथ, लिंग या राष्ट्र के हों। विश्वविद्यालय में प्रवेश योग्यता और/या सामाजिक-आर्थिक असुविधा के आधार पर होगा।
- (3) विश्वविद्यालय गरीब एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों की कुल संख्या का कम-से-कम पाँच प्रतिशत को छात्रवृत्ति/शुल्क माफी की अनुमति देगा। गरीब एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के निर्धारण के लिए प्रासंगिक मानदण्ड ऐसे होंगे जो विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जाएँ।
- (4) विश्वविद्यालय झारखण्ड राज्य के अधिवासित विद्यार्थियों के लिए विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या के कम-से-कम पच्चीस प्रतिशत की सीमा तक सीटों के आरक्षण को अनिवार्य रूप से प्रावधान करेगा। सीटों का आरक्षण समय-समय पर राज्य सरकार की विधि-व्यवस्था द्वारा विनियमित किया जाएगा।
परन्तु यदि पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हुए तो उनके लिए आरक्षित सीटों को सामान्य पूल के अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाएगा।
- (5) विश्वविद्यालय विनिर्दिष्ट शैक्षणिक मानकों को बनाए रखने के लिए विश्वविद्यालय में पर्याप्त संख्या में शिक्षकों और अधिकारियों की नियुक्ति करेगा।
- (6) विश्वविद्यालय से सम्बन्धित हर संसूचना जो विद्यार्थियों एवं अन्य हितधारकों के महत्त्व की होगी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रस्तावित पाठ्यक्रम, शुल्क एवं अन्य मूल्य, सुविधाएँ और सहूलियतें शामिल हैं और ऐसी अन्य प्रासंगिक संसूचना विश्वविद्यालय अनिवार्य रूप से सार्वजनिक डोमेन में जारी करेगा।
- (7) विश्वविद्यालय गैर-शैक्षणिक पदों पर झारखण्ड राज्य में अधिवासित व्यक्तियों में से भर्ती के लिए सर्वोत्तम प्रयास करेगा।
- (8) डिग्री, डिप्लोमा प्रदान करने या किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह परिनियमों द्वारा विहित रीति से आयोजित किए जा सकते हैं।
- (9) विश्वविद्यालय सम्बन्धित राष्ट्रीय प्रत्यायन निकायों से प्रत्यायन प्राप्त करेगा।

(10) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं अन्य वैधानिक निकायों के विद्यमान मानदण्डों के अनुसार आवश्यक बुनियादी ढाँचे, शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों के होने के बाद ही विश्वविद्यालय विद्यार्थियों का नामांकन प्रारम्भ करेगा।

(11) इस अधिनियम में शामिल किसी भी बात के बावजूद, विश्वविद्यालय इस अधिनियम की अनुसूची 'ए' में उल्लिखित शर्तों और भारत सरकार और राज्य सरकार की नियामक संस्थाओं के सभी नियमों, विनियमों, मानदण्डों आदि का पालन करने और ऐसे निकायों को वह सभी सुविधाएँ और सहायता प्रदान करने के लिए बाध्य होगा जो उन्हें अपने कर्तव्यों का निर्वाहन करने और अपने कार्यों को करने के लिए आवश्यक हैं।

6. **विश्वविद्यालय के उद्देश्य:** विश्वविद्यालय का उद्देश्य, ज्ञान का प्रसार एवं अभिवृद्धि करना, लोगों के बीच क्षमता एवं कौशल का निर्माण करना और भारत के संविधान के स्वप्न को साकार करने में योगदान करना होगा। वह ऐसा कार्यक्रमों एवं गतिविधियों के माध्यम से करेगा जिनमें इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षण, अनुसन्धान, आउटरीच और अन्य कार्य शामिल हैं। अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए गतिविधियों के क्षेत्रों को विश्वविद्यालय द्वारा चुना जाएगा और इसमें अन्य क्षेत्रों में से सार्वजनिक स्वास्थ्य और शिक्षा शामिल होंगे।

7. **विश्वविद्यालय लिंग, धर्म, वर्ग, रंग, पंथ या विचार से परे सभी के लिए खुला रहेगा:** लिंग, नस्ल, पंथ, वर्ग, जाति, जन्मस्थान और धार्मिक मान्यता या राजनीतिक या अन्य मान्यता के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ विश्वविद्यालय के किसी भी कार्यालय या उसके किसी भी प्राधिकरण की सदस्यता से या किसी डिग्री, डिप्लोमा या शिक्षा सम्बन्धी किसी अन्य विशिष्ट उपाधि में परिणित होने वाले अध्ययन के किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश से भेदभाव या बहिष्कृत नहीं किया जाएगा।

8. **विश्वविद्यालय की शक्तियाँ एवं कार्य:**

(1) विश्वविद्यालय का प्रशासन और प्रबन्धन करना और झारखण्ड राज्य के भीतर अपने परिसर में सतत शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा और ई-लर्निंग के साथ अनुसन्धान, शिक्षण, प्रशिक्षण, विस्तार और आउटरीच के लिए अपने अंगीभूत महाविद्यालयों और केन्द्रों की स्थापना, प्रशासन और प्रबन्धन करना;

(2) विज्ञान, प्रौद्योगिकी, मानविकी, सामाजिक अध्ययन, शिक्षा, प्रबन्धन, वाणिज्य, विधि, फार्मसी, स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्रों और किन्हीं अन्य क्षेत्रों या अनुशासनों में सतत शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा और ई-लर्निंग के साथ अनुसन्धान, उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, शिक्षण-प्रशिक्षण, विस्तार एवं आउटरीच प्रदान करना;

(3) शैक्षिक प्रौद्योगिकियों और शिक्षण एवं अधिगम विधियों में अभिनव प्रयोग संचालित करना, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ मिलकर कार्य करना और शिक्षा के वितरण में निरन्तर सुधार करने तथा शिक्षण के अन्तर्राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने के लिए ऐसे संस्थानों के साथ संयुक्त कार्यक्रमों की पेशकश करना;

(4) इलेक्ट्रॉनिक एवं दूरस्थ शिक्षा के साथ पाठ्यक्रमों, पाठ्यचर्याओं और कार्य-प्रणालियों का निर्धारण करना और शिक्षा के वितरण में लचीलापन प्रदान करना;

- (5) विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन परीक्षा आयोजित करना और डिग्री, डिप्लोमा प्रदान करना या प्रमाण-पत्र और शिक्षा सम्बन्धी अन्य विशिष्ट उपाधि या पदवी देना और विनियमों द्वारा विहित रीति से ऐसी किसी भी डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र और शिक्षा सम्बन्धी अन्य विशिष्ट उपाधि या पदवी को वापस लेना या रद्द करना;
- (6) फेलोशिप, छात्रवृत्ति, पदक एवं पुरस्कार स्थापित करना व प्रदान करना;
- (7) परिनियमों द्वारा विहित रीति से मानद उपाधियाँ या अन्य विशिष्ट उपाधियाँ प्रदान करना;
- (8) विद्यालयों, केन्द्रों, संस्थानों, महाविद्यालयों की स्थापना करना और ऐसे अध्ययन पाठ्यक्रम एवं कार्यक्रम संचालित करना जो विश्वविद्यालय की राय में उसके उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए आवश्यक हों;
- (9) शिक्षा एवं जनस्वास्थ्य के क्षेत्रों में योगदान देने के उद्देश्यों को अग्रसर करने हेतु बच्चों के लिए विद्यालयों एवं सामान्य जनता के लिए चिकित्सालयों की स्थापना करना व उनका संचालन करना;
- (10) अपने उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए समितियों, न्यासों और निकायों की स्थापना एवं संचालन करना;
- (11) शिक्षा प्रदान करने वाले किसी महाविद्यालय, केन्द्र, संस्थान को अंगीभूत महाविद्यालय घोषित करना, जो कि विश्वविद्यालय की राय में उसके उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए आवश्यक हो या इसी प्रयोजन से नया अंगीभूत महाविद्यालय, केन्द्र, संस्थान स्थापित करना;
- (12) शोध, शैक्षिक सामग्री और अन्य कार्यों के मुद्रण, प्रकाशन और पुनरुत्पादन की व्यवस्था करना और प्रदर्शनियों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं और संगोष्ठियों का आयोजन करना;
- (13) ज्ञान संसाधन केन्द्र स्थापित करना;
- (14) विज्ञान, प्रौद्योगिकी, मानविकी, सामाजिक अध्ययन, शिक्षा, प्रबन्धन, वाणिज्य, विधि, फार्मेसी, स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्रों और किन्हीं अन्य क्षेत्रों में अनुसन्धान एवं शैक्षिक कार्यक्रमों को प्रायोजित करना व प्रारम्भ करना;
- (15) समान एवं समरूप उद्देश्यों वाले किसी शैक्षणिक संस्थान के साथ मिलकर कार्य करना या उससे सम्बद्ध होना;
- (16) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की प्राप्ति के प्रयोजन से आभासी परिसर समेत परिसरों की स्थापना करना;
- (17) सक्षम प्राधिकरणों से पेटेंट, डिजाइन अधिकार और ऐसे या इसी तरह के अधिकारों की श्रेणी में अनुसन्धान शुरू करना और इस तरह के अनुसन्धान के सम्बन्ध में पंजीकरण प्राप्त करना;
- (18) विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं, संकायों एवं कर्मचारियों के आदान-प्रदान के माध्यम से और सामान्यतः ऐसी रीतियों से जो उनके समान उद्देश्यों के लिए सहायक हो सकती हैं विश्व के किसी भी हिस्से के ऐसे शैक्षिक एवं अन्य संस्थानों के साथ मिलकर कार्य करना या

- उनसे सम्बन्ध बनाए रखना जिसके उद्देश्य पूर्णतः या आंशिक रूप से विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के अनुरूप हों;
- (19) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के लिए आवश्यक अनुसन्धान, प्रशिक्षण, परामर्श और इसी तरह की अन्य सेवाएँ प्रदान करना;
 - (20) विश्वविद्यालय की उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी, मानविकी, सामाजिक अध्ययन, शिक्षा, प्रबन्धन, वाणिज्य, विधि, फार्मसी, स्वास्थ्य सेवा एवं सहबद्ध क्षेत्र के संकायों, शोधकर्ताओं, प्रशासकों और प्रक्षेत्र विशेषज्ञों के साथ सम्बन्ध विकसित करना एवं बनाए रखना;
 - (21) महिलाओं एवं अन्य वंचित विद्यार्थियों के लिए विशेष व्यवस्था करना, जैसा कि विश्वविद्यालय वांछनीय समझे;
 - (22) विश्वविद्यालय के व्यय को विनियमित करना और वित्तीय प्रबन्धन करना एवं खातों का रखरखाव करना;
 - (23) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों एवं प्रयोजनों के लिए व्यापार, उद्योग, समाज के अन्य वर्गों, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय संगठन या किसी अन्य स्रोत से हस्तान्तरण या उपहार, दान, चन्दे या वसीयत के रूप में धन, चल एवं अचल सम्पत्ति, उपकरण, सॉफ्टवेयर और अन्य संसाधन प्राप्त करना;
 - (24) विद्यार्थियों के लिए हॉल, छात्रावासों, शिक्षक एवं कर्मचारियों के निवास के लिए क्वार्टर की स्थापना करना और उनका प्रबन्धन व रखरखाव करना;
 - (25) खेल, सांस्कृतिक, सह-पाठ्यचर्या और पाठ्येतर गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रों, संकुलों, सभागार, भवनों, स्टेडियम का निर्माण करना, उनका प्रबन्धन एवं रखरखाव करना;
 - (26) विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों, संकायों और कर्मचारियों के निवास का पर्यवेक्षण व नियंत्रण करना एवं अनुशासन को विनियमित करना और उनके स्वास्थ्य, सामान्य कल्याण, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की व्यवस्था करना;
 - (27) परिणियमों द्वारा विहित किए जाने वाले शुल्क एवं इसी प्रकार के अन्य प्रभार को निर्धारित करना, उनकी माँग करना, उन्हें प्राप्त या वसूल करना;
 - (28) फेलोशिप, छात्रवृत्ति, पुरुस्कार, पदक एवं अन्य पुरस्कार प्रदान करना व स्थापित करना;
 - (29) किसी भी भूमि या भवन या कार्य-जो विश्वविद्यालय के उद्देश्य के लिए आवश्यक या सुविधाजनक हो सकते हैं-को विश्वविद्यालय द्वारा उचित समझे जाने वाले नियमों और शर्तों पर खरीदना या पट्टे पर लेना या उपहार, वसीयत, विरासत या अन्य रूप से स्वीकार करना और ऐसे किसी भी भवन या कार्य को निर्मित करना या उसमें परिवर्तन करना और उसका रखरखाव करना;
 - (30) विश्वविद्यालय की चल या अचल, सम्पत्तियों को पूरी तरह या आंशिक रूप से ऐसी शर्तों पर बेचना, विनिमय करना, पट्टे पर देना या निपटान करना जिन्हें विश्वविद्यालय उचित समझता हो और जो उसके हित, गतिविधियों और उद्देश्यों के अनुरूप हों;

- (31) वचन-पत्रों, विनिमय-पत्रों, चेक और अन्य परक्राम्य दस्तावेजों को आहरित करना और स्वीकार करना, बनाना और समर्थन करना, छूट देना और तय करना;
- (32) ऋण-पत्रों, गिरवी, वचन-पत्रों या अन्य दायित्वों या प्रतिभूतियों पर या विश्वविद्यालय की सभी या किसी भी सम्पत्ति और परिसम्पत्ति के आधार पर या बिना किसी प्रतिभूति के और ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर धन जुटाना व उधार लेना जिन्हें विश्वविद्यालय उचित समझता हो, और सभी व्ययों का भुगतान विश्वविद्यालय की निधि से करना;
- (33) विश्वविद्यालय की किन्हीं भी कक्षाओं या विद्यालयों या केन्द्रों को बन्द करना और स्थगित करना, यदि ऐसा करना उसे उपयुक्त लगता हो;
- (34) विश्वविद्यालय की निधि या विश्वविद्यालय को सौंपे गए धन या ऐसी प्रतिभूतियों में उस तरह से निवेश करना जैसे विश्वविद्यालय को उपयुक्त लगता हो और समय-समय पर आवश्यकतानुसार किसी भी निवेश को स्थानान्तरित करना;
- (35) समय-समय पर ऐसे परिनियमों व नियमों को बनाना जो विश्वविद्यालय के प्रबन्धन और मामलों को विनियमित करने और उन्हें बदलने, संशोधित करने और रद्द करने के लिए आवश्यक समझे जाते हैं;
- (36) विद्यार्थियों एवं कर्मचारियों के लिए पाठ्येतर गतिविधियों के प्रावधान बनाना;
- (37) शैक्षणिक, तकनीकी, प्रशासनिक एवं अन्य कर्मचारियों के लाभ के लिए इस तरह से और ऐसी शर्तों के अधीन-जो कि विनियमों द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती हैं-पेंशन, बीमा, भविष्य निधि और उपादान जैसी योजनाएँ बनाना, जो उपयुक्त लगती हों और ऐसे अनुदान देना जो विश्वविद्यालय की समझ से उसके किसी भी कर्मचारी के लाभ के लिए उपयुक्त हों और संघों, संस्थानों, निधि, न्यासों की स्थापना और समर्थन में सहायता करना और विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और विद्यार्थियों को लाभ पहुँचाने के लिए गणना किए गए संवहन की स्थापना और समर्थन में सहयोग करना;
- (38) संकायों, मूल्यांकनकर्ताओं और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम अभिविन्यास पाठ्यक्रम, कार्यशालाएँ, संगोष्ठियाँ एवं अन्य कार्यक्रम आयोजित व संचालित करना;
- (39) सरकार के पूर्व-अनुमोदन से किसी अन्य शैक्षणिक संस्थान(नों) का अर्जन करना और अधिग्रहण करना व उनका संचालन करना;
- (40) यदि आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय के कुलपति या प्रति कुलपति या किसी समिति या किसी उप-समिति या किसी एक या अधिक सदस्यों या अपने निकाय को या अपने अधिकारियों को अपनी सभी या कोई शक्ति प्रत्यायोजित करना;
- (41) ऐसे अन्य सभी कार्य और चीजें करना जो विश्वविद्यालय उपरोक्त उद्देश्यों या उनमें से किसी की प्राप्ति या वृद्धि के लिए आवश्यक, अनुकूल या प्रासंगिक समझे ।

9. सम्बद्धता के लिए प्रतिषेध:

- (1) विश्वविद्यालय सम्बद्धता के विशेषाधिकार के निमित्त किसी महाविद्यालय या संस्थान को मंजूर नहीं करेगा।
- (2) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा सरकार या राज्य या केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित ऐसे नियामक निकाय, जिससे भी सम्बन्धित मामला हो, के पूर्व अनुमोदन के पश्चात ही विश्वविद्यालय झारखण्ड राज्य में या उसके बाहर परिसर से इतर, अपतटीय परिसर और अध्ययन केन्द्र, परीक्षा केन्द्र खोल सकता है:

बशर्ते ऐसा कोई भी अनुमोदन किसी भी अधिदेशित कानून के तहत अनिवार्य हो:

- (3) दूरस्थ शिक्षा के तहत पाठ्यक्रमों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा सरकार द्वारा स्थापित ऐसे नियामक निकाय के पूर्व अनुमोदन के बाद ही शुरू किया जा सकता है;

बशर्ते ऐसा कोई भी अनुमोदन किसी भी अधिदेशित कानून के तहत अनिवार्य हो।

10. प्रायोजक निकाय की शक्तियाँ: विश्वविद्यालय के सन्दर्भ में प्रायोजक निकाय के पास निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी, जिनमें से प्रत्येक का प्रयोग प्रायोजक निकाय द्वारा अपने विवेक से किया जा सकता है, अर्थात् :-

- (क) कुलाधिपति की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति या नियुक्ति समाप्त करना
- (ख) विश्वविद्यालय के पहले शासी निकाय का गठन करना;
- (ग) शासी निकाय के अध्यक्ष को नामित करना;
- (घ) शासी निकाय के सदस्यों के रूप में तीन व्यक्तियों को नामित करना;
- (ङ) प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों के रूप में दो व्यक्तियों को नामित करना;
- (च) अक्षय निधि में अभिदान की जाने वाली निधियों के स्रोत का निर्धारण करना;
- (छ) विश्वविद्यालय द्वारा धन के खर्च और अनुप्रयोग का निर्धारण करना;
- (ज) इस अधिनियम में प्रविहित तरीके के अनुसार शासी निकाय की बैठक में किसी विवाद को हल करना।

अध्याय-III

विश्वविद्यालय के अधिकारी

11. कुलाध्यक्ष:

- (1) झारखण्ड के राज्यपाल विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष होंगे।
- (2) कुलाध्यक्ष—जब उपस्थित हो—डिग्री, डिप्लोमा, चार्टर, पदवी और प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिए आयोजित दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेंगे।
- (3) कुलाध्यक्ष को विश्वविद्यालय के शिक्षण, अनुशासन, मर्यादा और उचित कामकाज के स्तर को सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किसी भी संस्थान का दौरा करने का अधिकार होगा।

12. विश्वविद्यालय के अधिकारी: विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे :

- (क) कुलाधिपति
- (ख) कुलपति
- (ग) प्रति कुलपति
- (घ) कुलसचिव
- (ङ) मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी
- (च) ऐसे अन्य अधिकारी जो परिनियम द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किए जाएँ।

13. कुलाधिपति:

- (1) कुलाधिपति की नियुक्ति प्रयोजित निकाय द्वारा पाँच वर्षों की अवधि के लिए और ऐसे नियमों व शर्तों पर होगी जो विहित की जाएँ। अवधि की समाप्ति पर कुलाधिपति को प्रायोजित निकाय द्वारा पुनः नियुक्त किया जा सकता है।
- (2) कुलाधिपति, अपने पद के आधार पर, विश्वविद्यालय के प्रमुख होंगे।
- (3) कुलाधिपति शासी निकायों के अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा, और जब कुलाध्यक्ष उपस्थित न हों तो डिग्री, डिप्लोमा और शिक्षा सम्बन्धी अन्य विशिष्ट उपाधियाँ प्रदान करने के लिए आयोजित दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेंगे।
- (4) कुलाधिपति, प्रायोजक निकाय के प्रमुख को सम्बोधित कर हस्तलिखित रूप से अपना पद त्याग सकते हैं।

- (5) कुलाधिपति के पास निम्न शक्तियाँ होंगी :
- (क) किसी भी संसूचना या अभिलेख की माँग करना;
- (ख) कुलपति की नियुक्ति करना;
- (ग) इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कुलपति को पदच्युत करना; और
- (घ) ऐसी अन्य शक्तियाँ जो उसे इस अधिनियम या इसके तहत परिनियम द्वारा प्रदत्त की गई हों।

14. कुलपति:

- (1) कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा और ऐसे नियमों व शर्तों पर होगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएँ, और उसका कार्यकाल पाँच वर्षों की अवधि के लिए होगा:
- बशर्ते कि कुलपति के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति अपने पद के कार्यकाल या उसके विस्तार, यदि कोई हो, के दौरान 70 वर्ष की आयु पूरी करने पर पद से सेवानिवृत्त हो जाएँगे।
- परंतु यह भी कि पाँच वर्ष की अवधि के समाप्त होने पर कुलपति पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे।
- (2) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यकारी और शैक्षणिक अधिकारी होगा और विश्वविद्यालय के मामलों पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण का उपयोग करेगा और विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राधिकरणों के निर्णयों को निष्पादित करेंगे।
- (3) कुलाध्यक्ष और कुलाधिपति, दोनों की अनुपस्थिति में कुलपति विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेंगे।
- (4) यदि कुलपति की राय में किसी मामले पर तत्काल कार्रवाई आवश्यक है तो वह ऐसी किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, जो इस अधिनियम द्वारा या इसके तहत विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण को प्रदत्त है और ऐसे मामलों में अपने द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में उस प्राधिकरण को अवगत कराएगा:
- परन्तु विश्वविद्यालय का प्राधिकारी या विश्वविद्यालय में सेवारत किसी भी व्यक्ति, जो इस उप-धारा के तहत कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई से व्यथित है, को यह अधिकार होगा कि जिस तारीख को ऐसी कार्रवाई का निर्णय उसे संसूचित किया जाता है उसके एक महीने के भीतर वह कुलाधिपति को अपील कर सकता है। कुलाधिपति, कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई की पुष्टि कर सकते हैं, उसे संशोधित कर सकते हैं, या उसे निरस्त कर सकते हैं।
- (5) कुलपति ऐसी शक्तियों का उपयोग करेंगे और ऐसे कार्यों को करेंगे जो विहित किए जाएँ।

15. कुलपति को हटाना:

- (1) यदि किसी भी समय और आवश्यक समझे जाने वाली किसी जाँच के बाद, कुलाधिपति को यह प्रतीत होता है कि कुलपति:
- (क) इस अधिनियम, परिनियम, अध्यादेशों द्वारा या उसके तहत, उन्हें दिए गए किसी भी कर्तव्य का निर्वहन करने में विफल रहे हैं, या
- (ख) विश्वविद्यालय के हितों के प्रतिकूल तरीकों से कार्य किया है, या
- (ग) विश्वविद्यालय के मामलों का प्रबन्धन करने में असमर्थ हैं,
तो कुलाधिपति, इस तथ्य को जानते हुए भी कि कुलपति के पद की अवधि समाप्त नहीं हुई है, कुलपति को लिखित में कारण बताते हुए आदेश द्वारा उस तारीख से अपने पद से त्यागपत्र देने की अपेक्षा कर सकते हैं, जो इसमें विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
- (2) उप-धारा (1) के तहत कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा, जब तक कि विशिष्ट आधारों, जिस पर ऐसी कार्रवाई प्रस्तावित है, को बताते हुए एक नोटिस, जिसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों का पालन करते हुए तामील किया जाए और कुलपति को प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण बताने का यथोचित अवसर दिया गया हो।

16. प्रति कुलपति:

- (1) कुलपति के लिखित अनुमोदन से कुलपति द्वारा एक प्रति कुलपति की नियुक्ति की जा सकेगी और वह इस तरह से और ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे, जो निर्दिष्ट किए जा सकते हैं।
- (2) उप-धारा (1) के तहत नियुक्त प्रति कुलपति अपने मौजूदा कर्तव्यों के अतिरिक्त अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।
- (3) प्रति कुलपति, जब कभी भी कुलपति को आवश्यकता हो, उनके कर्तव्यों के निर्वहन में कुलपति की सहायता करेंगे।
- (4) प्रति कुलपति को उतनी राशि का मानदेय मिल सकता है, जो प्रायोजक निकाय द्वारा निर्धारित किया जाए।

17. कुलसचिव:

- (1) कुलसचिव की नियुक्ति कुलपति द्वारा कुलाधिपति के लिखित अनुमोदन से इस तरह से और ऐसे नियम और शर्तों पर की जाएगी जो परिनियमों में निर्दिष्ट किए जा सकते हैं।
- (2) कुलसचिव को विश्वविद्यालय की ओर से एकरारनामा करने, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर और अभिलेखों को प्रमाणित करने की शक्ति होगी और वह ऐसी अन्य शक्ति का प्रयोग करेंगे और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेंगे, जो निर्दिष्ट किए जा सकते हैं।
- (3) कुलसचिव विश्वविद्यालय के अभिलेखों और प्रमुख मुहर की उचित अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होंगे और ऐसी समस्त जानकारी और दस्तावेजों को माँग के अनुसार कुलाधिपति, कुलपति या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होंगे।

18. मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी:

- (1) मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी की नियुक्ति कुलाधिपति के लिखित अनुमोदन से कुलपति द्वारा इस तरह से और ऐसे नियम और शर्तों पर की जाएगी जो परिनियमों में निर्दिष्ट किए जा सकते हैं।
- (2) मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे, जो परिनियमों में निर्दिष्ट किए जा सकते हैं।

19. अन्य अधिकारी: विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति के तरीके और वह शक्तियाँ और कर्तव्य होंगे, जो परिनियमों में निर्दिष्ट किए जा सकते हैं।**अध्याय-IV****विश्वविद्यालय के प्राधिकार****20. विश्वविद्यालय के प्राधिकार:** विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकार होंगे :

- (क) शासी निकाय;
- (ख) प्रबन्ध मण्डल;
- (ग) अकादमिक परिषद्;
- (घ) वित्त समिति;
- (ङ) ऐसे अन्य प्राधिकार, जिन्हें परिनियम द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकार घोषित किया जा सकता है।

21. शासी निकाय:

- (1) शासी निकाय में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :
 - (क) कुलाधिपति;
 - (ख) कुलपति;
 - (ग) झारखण्ड सरकार के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव, या उनके द्वारा नामित व्यक्ति;
 - (घ) प्रायोजक निकाय द्वारा नामित तीन व्यक्ति; तथा
 - (ङ) विश्वविद्यालय से असम्बद्ध, प्रबन्धन या प्रौद्योगिकी या शिक्षा या स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित विशेषज्ञ, जिन्हें कुलाधिपति द्वारा नामित किया गया हो।
 - (च) वित्त के एक विशेषज्ञ, जिन्हें कुलाधिपति द्वारा नामित किया गया हो।
- (2) कुलसचिव और प्रति कुलपति शासी निकाय में हमेशा मताधिकार रहित आमंत्रित व्यक्ति होंगे।
- (3) सरकार के उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव के अलावा शासी निकाय के सदस्यों का कार्यकाल, अन्य सदस्यों की नियुक्ति, नवीनीकरण और निष्कासन आदि परिनियमों में निर्दिष्ट किए जा सकते हैं।
- (4) शासी निकाय की सभी बैठकों की अध्यक्षता हमेशा कुलाधिपति द्वारा और उनकी अनुपस्थिति में प्रायोजक निकाय के किसी एक नामित व्यक्ति के द्वारा की जाएगी और जहाँ प्रायोजक निकाय ने किसी भी व्यक्ति को नामित नहीं किया है, तब कुलपति द्वारा बैठकों की अध्यक्षता की जाएगी।
- (5) शासी निकाय विश्वविद्यालय का सर्वोच्च प्राधिकार और प्रमुख शासी निकाय होगा। इसकी निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी, अर्थात् :
 - (क) इस अधिनियम, परिनियम, अध्यादेशों, विनियमों या नियमों द्वारा प्रदान की गई सभी शक्तियों का उपयोग करके सामान्य अधीक्षण और निर्देश प्रदान करना और विश्वविद्यालय के कामकाज को संचालित करना;
 - (ख) विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारों द्वारा लिए गए निर्णयों की समीक्षा, यदि वे अधिनियम, परिनियम, अध्यादेशों, विनियमों या नियमों के प्रावधानों के अनुरूप नहीं हैं;
 - (ग) विश्वविद्यालय के बजट और वार्षिक प्रतिवेदन का अनुमोदन करना;

- (घ) विश्वविद्यालय द्वारा अपनायी जाने वाली व्यापक नीतियों का निर्धारण करना;
- (ङ) सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद विश्वविद्यालय का सुचारू रूप से संचालन नहीं होने की स्थिति में विश्वविद्यालय के विलय के लिए प्रायोजक निकाय से अनुशंसा करना;
- (च) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के लिए वांछनीय निर्णयों और कदमों को उठाना; तथा
- (छ) ऐसी अन्य शक्तियाँ, जो परिनियमों निर्दिष्ट की जा सकती हैं।
- (6) शासी निकाय की एक कैलेंडर वर्ष में कम-से-कम एक बार परिनियमों में निर्दिष्ट तरीकों से बैठक होगी।
- (7) बैठक का कोरम बैठक में भाग लेने और मतदान करने वाले तीन सदस्यों से होगा:
परन्तु शासी निकाय की किसी भी बैठक के लिए कुलाधिपति या प्रायोजक निकाय के एक नामित व्यक्ति की अनुपस्थिति में कुलपति कोरम बनाने के लिए हमेशा आवश्यक होंगे।
- (8) कार्यसूचियों के मुद्दों के पक्ष में कुलाधिपति द्वारा समर्थनात्मक मत के अनुसरण को छोड़कर किसी भी कार्यसूचियों के मुद्दों के सम्बन्ध में शासी बोर्ड द्वारा अपनी बैठक में कोई प्रस्ताव पारित या निर्णय नहीं लिया जाएगा।
- (9) शासी निकाय की बैठक में किसी भी मतभेद की स्थिति में, मुद्दे को प्रायोजक निकाय को भेजा जाएगा और ऐसे मुद्दों के सम्बन्ध में प्रायोजक निकाय का निर्णय अन्तिम और विश्वविद्यालय के लिए बाध्यकारी होगा।

22. प्रबन्ध मण्डल:

- (1) प्रबन्ध मण्डल में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:
- (क) कुलपति;
- (ख) प्रति कुलपति;
- (ग) कुलसचिव;
- (घ) प्रायोजक निकाय के दो नामांकित व्यक्ति;
- (ङ) कुलपति द्वारा नामित दो विभागाध्यक्ष/विद्यालय या संकाय या विश्वविद्यालय के अन्य सदस्य।
- (2) कुलपति प्रबन्ध मण्डल के अध्यक्ष होंगे।
- (3) प्रबन्ध मण्डल की शक्तियाँ और कार्य ऐसे होंगे, जो परिनियमों द्वारा निर्दिष्ट किए जा सकते हैं।

- (4) प्रबन्ध मण्डल की बैठक के लिए कोरम ऐसा होगा, जो परिनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।
- (5) प्रबन्ध मण्डल की सभी बैठकों की अध्यक्षता हमेशा कुलपति द्वारा और कुलपति की अनुपस्थिति में प्रायोजक निकाय के नामांकित व्यक्ति द्वारा की जाएगी और जहाँ प्रायोजक निकाय ने किसी भी नामांकित व्यक्ति को नामित नहीं किया है, तो कोई भी अन्य सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
- (6) प्रबन्ध मण्डल की बैठक में राय के टकराव की स्थिति में, मुद्दा कुलाधिपति को भेजा जाएगा और ऐसे मुद्दे के सम्बन्ध में कुलाधिपति का निर्णय अन्तिम और विश्वविद्यालय पर बाध्यकारी होगा।

23. अकादमिक परिषद्:

- (1) अकादमिक परिषद् में कुलपति और ऐसे सदस्य होंगे जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जा सकते हैं।
- (2) कुलपति अकादमिक परिषद् के अध्यक्ष होंगे।
- (3) अकादमिक परिषद् विश्वविद्यालय का प्रमुख अकादमिक निकाय होगा और इस अधिनियम के प्रावधानों के और परिनियम, अध्यादेशों, विनियमों या नियमों के तहत वह विश्वविद्यालय की अकादमिक नीतियों का समन्वय और सामान्य पर्यवेक्षण करेगा।
- (4) अकादमिक परिषद् की बैठकों का कोरम ऐसा होगा, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जा सकता है।

24. वित्त समिति:

- (1) वित्तीय मामलों की देखभाल के लिए वित्त समिति विश्वविद्यालय की प्रमुख वित्तीय संस्था होगी।
- (2) वित्त समिति का गठन, शक्तियाँ और कर्तव्य ऐसे होंगे जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जा सकते हैं।

25. **अन्य प्राधिकार:** विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारों का गठन, शक्तियाँ और कर्तव्य ऐसे होंगे जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जा सकते हैं।

26. **किसी प्राधिकार या निकाय की सदस्यता के लिए निरर्हता:** कोई भी व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकार या निकाय का सदस्य होने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा, यदि वह :

- (क) विकृत चित्त का है और एक सक्षम अदालत द्वारा ऐसा घोषित किया गया है;

- (ख) अनुन्मोचित दिवालिया है;
- (ग) नैतिक अद्यमता से जुड़े किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है;
- (घ) कहीं भी, किसी भी रूप में, किसी भी परीक्षा के संचालन में शामिल होने या अनुचित व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए दंडित किया गया है।

27. **रिक्तियाँ से विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार या निकाय के गठन या कार्यवाहियों में अविधिमान्य न होना:** विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार या निकाय के गठन में किसी रिक्तियों या दोष के कारण विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकार की कोई भी कार्य या कार्यवाही अमान्य नहीं होगी।
28. **समितियों का गठन:** विश्वविद्यालय के प्राधिकार ऐसी समितियों का गठन कर सकते हैं, जिसमें विशिष्ट कार्यों को करने के सन्दर्भ में ऐसी शर्तें आवश्यक हो सकती हैं, जैसा कि परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

अध्याय-V

परिनियम, अध्यादेश और विनियम

29. परिनियम:

- (1) इस अधिनियम के प्रावधानों और इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत परिनियम निम्नलिखित सभी या किसी भी मुद्दों के लिए परिनियम प्रावधानित कर सकते हैं, अर्थात् :
- (क) समय-समय पर गठित विश्वविद्यालय के प्राधिकारों और अन्य निकायों का गठन, शक्तियाँ और कर्तव्य;
- (ख) कुलपति और प्रति कुलपति की नियुक्तियों के नियम और शर्तें, उनकी शक्तियाँ और कर्तव्य;
- (ग) कुलसचिव और मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारीकी नियुक्तियों के तरीके और नियम और शर्तें, उनकी शक्तियाँ और कर्तव्य;
- (घ) अन्य अधिकारियों और शिक्षकों की नियुक्तियों के तरीके और नियम और शर्तें, उनकी शक्तियाँ और कर्तव्य;
- (ङ) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सेवा के नियम और शर्तें;
- (च) कर्मचारियों या विद्यार्थियों और विश्वविद्यालय के बीच विवादों के मामलों में मध्यस्थता की प्रक्रिया;

- (छ) मानद उपाधियों को प्रदान करने की प्रक्रिया;
- (ज) विद्यार्थियों को शिक्षण शुल्क के भुगतान से छूट और विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति और फेलोशिप प्रदान करने के सम्बन्ध में प्रावधान;
- (झ) विभागों और संकायों का सृजन, पुनर्गठन या समाप्त करना;
- (ञ) अन्य विश्वविद्यालयों या उच्च शिक्षा संस्थानों के साथ सहयोग का तरीका;
- (ट) सीटों के आरक्षण के विनियम सहित प्रवेश के लिए नीतियों को तैयार करना;
- (ठ) पदों के सृजन और समाप्त करने की प्रक्रिया;
- (ड) विद्यार्थियों से ली जाने वाली फीस; तथा
- (ढ) अन्य मामले जो निर्दिष्ट किए जा सकते हैं।
- (2) विश्वविद्यालय का प्रथम परिनियम प्रबन्ध मण्डल द्वारा बनाया जाएगा और इसे अनुमोदन के लिए शासी निकाय को प्रस्तुत किया जाएगा।
- (3) शासी निकाय, प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रथम परिनियम पर विचार करेगा और इसकी प्राप्ति की तारीख से साठ दिनों के भीतर, संशोधनों के साथ या बिना संशोधनों के, जैसा कि वह आवश्यक समझे, इसे अनुमोदित करेगा।
- (4) प्रबन्ध मण्डल, शासी निकाय द्वारा अनुमोदित प्रथम परिनियम को अपनी सहमति के सन्दर्भ में सूचित करेगी और यदि वह शासी निकाय द्वारा उप-धारा (3) के तहत किए गए किसी भी या सभी संशोधनों को प्रभावी नहीं करना चाहती है, तो वह उसके लिए कारण दे सकती है और ऐसे कारणों पर विचार करने के बाद प्रबन्ध मण्डल द्वारा दिए गए सुझावों को शासी निकाय स्वीकार कर सकता है या नहीं भी कर सकता है।
- (5) विश्वविद्यालय, शासी निकाय द्वारा अन्तिम रूप से अनुमोदित प्रथम परिनियम को प्रकाशित करेगा, और उसके बाद, प्रथम परिनियम प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- 30. परिनियमों को संशोधित करने की शक्ति:** प्रबंध मण्डल, शासी निकाय के अनुमोदन से, नए अतिरिक्त परिनियम बना सकता है या परिनियमों में संशोधन या परिनियमों को निरस्त कर सकता है।
- 31. विनियम:**
- (1) इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन निम्नलिखित विषयों में या सभी में या किन्हीं में विनियम उपबन्धित कर सकते हैं, अर्थात्:-
- (क) विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के प्रवेश और उनका नामांकन;

- (ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों और अन्य शैक्षणिक विशिष्टताओं के लिए निर्धारित किए जाने वाले अध्ययन पाठ्यक्रम;
- (ग) उपाधियाँ और अन्य शैक्षणिक विशिष्टताएँ प्रदान करना;
- (घ) फेलोशिप, छात्रवृत्ति, स्टूडेंटशिप, पदक और पुरस्कार प्रदान करने की शर्तें;
- (ङ) परीक्षाओं का संचालन और परीक्षा निकायों, परीक्षक निरीक्षकों, सारणियों एवं मध्यस्थों के कर्तव्य और उनकी नियुक्ति की विधि एवं शर्तें;
- (च) अन्य सभी मामले जो अधिनियम के तहत परिनियमों में प्रदान किए जा सकते हैं।

(2) विनियम अकादमिक परिषद् द्वारा बनाए जाएँगे और प्रबन्ध मण्डल द्वारा अनुमोदित होंगे।

32. **विनियमों को संशोधित करने की शक्ति:** अकादमिक परिषद्, प्रबन्ध मण्डल के अनुमोदन से, नए या अतिरिक्त विनियम बना सकती है या विनियमों में संशोधन या निरस्त कर सकती है।

33. **अध्यादेश:** विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल द्वारा अध्यादेशों को बनाया जा सकता है, सुधारा जा सकता है या निरस्त किया जा सकता है, तदुपरान्त जिसकी पुष्टि शासी निकाय द्वारा की जाएगी।

34. **राज्य सरकार की निर्देश देने की शक्तियाँ:**

- (1) राज्य सरकार शिक्षण के मानकों, परीक्षा और शोध या विश्वविद्यालय से सम्बन्धित किसी अन्य मुद्दे को अवधारण करने के उद्देश्य से ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा निर्धारित तरीके के अनुसार आकलन किए जाने को प्रेरित कर सकती है, जैसा उचित समझे।
- (2) राज्य सरकार इस तरह के मूल्यांकन के आधार पर अपनी अनुशंसाएँ विश्वविद्यालय को सुधारात्मक कार्रवाई के लिए भेजेगी। विश्वविद्यालय ऐसे सुधारात्मक उपाय अपना सकता है और अनुशंसाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रयास कर सकता है।
- (3) यदि विश्वविद्यालय उप-धारा (2) के तहत दी गई अनुशंसाओं का अनुपालन यथोचित समय में करने में असमर्थ रहता है तो राज्य सरकार ऐसे निर्देश दे सकती है जैसा वह उचित समझे। राज्य सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का विश्वविद्यालय द्वारा शीघ्र अनुपालन किया जाएगा।

अध्याय-VI

विश्वविद्यालय की निधियाँ

35. अक्षय निधि:

- (1) प्रायोजक निकाय विश्वविद्यालय के लिए आशय पत्र में निर्दिष्ट राशि के साथ एक अक्षय निधि स्थापित करेगा।
- (2) अक्षय निधि का उपयोग सुरक्षा जमा के रूप में यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि विश्वविद्यालय इस अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन करता है और इस अधिनियम, परिनियम और अध्यादेशों के प्रावधानों के अनुसार कार्य करता है। यदि विश्वविद्यालय या प्रायोजक निकाय इस अधिनियम, परिनियम, अध्यादेशों या इनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो राज्य सरकार के पास अक्षय निधि के एक हिस्से या पूरी निधि को जब्त करने की शक्ति होगी।
- (3) विश्वविद्यालय, अक्षय निधि की आय का उपयोग विश्वविद्यालय के आधारभूत संरचना के विकास के लिए कर सकता है, और विश्वविद्यालय के आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिए नहीं कर सकता है।
- (4) विश्वविद्यालय को अक्षय निधि को उस प्रकार से निवेश करने की शक्ति होगी जिस प्रकार निर्धारित किया गया हो।
- (5) विश्वविद्यालय के विघटन की दशा को छोड़कर अन्य किसी भी परिस्थिति में धन को अक्षय निधि से अन्य उद्देश्यों के लिए हस्तान्तरित नहीं किया जा सकता है।

36. सामान्य निधि:

- (1) विश्वविद्यालय एक निधि की स्थापना करेगा, जिसे सामान्य निधि कहा जाएगा जिसमें निम्नलिखित जमा किए जाएँगे, अर्थात् :
 - (क) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त शुल्क और अन्य लागत;
 - (ख) प्रायोजक निकाय द्वारा किया गया कोई भी योगदान;
 - (ग) अपने उद्देश्य को पूरा करने के दौरान विश्वविद्यालय द्वारा किए गए परामर्श कार्य और अन्य कार्यों से प्राप्त कोई भी आय;
 - (घ) न्यास, वसीयत, दान, बंदोबस्ती और कोई अन्य अनुदान; और
 - (ङ) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त अन्य सभी राशियाँ ।
- (2) सामान्य निधि में जमा निधि का उपयोग विश्वविद्यालय के सभी आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिए किया जाएगा ।

अध्याय-VII

लेखा, अंकेक्षण एवं वार्षिक प्रतिवेदन

37. **वार्षिक प्रतिवेदन:** विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किया जाएगा, जिसमें अन्य मुद्दों के अलावा विश्वविद्यालय द्वारा इसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उठाए गए कदम शामिल होंगे और इसे राज्य सरकार को समर्पित किया जाएगा।
38. **वार्षिक लेखा एवं अंकेक्षण:**
- (1) विश्वविद्यालय द्वारा बैलेंस-शीट सहित वार्षिक लेखा तैयार किए जाएँगे और वार्षिक लेखा का प्रत्येक वर्ष कम से कम एक बार विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किए गए अंकेक्षकों द्वारा अंकेक्षण किया जाएगा।
 - (2) प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ वार्षिक लेखों की एक प्रति 31 दिसम्बर से पहले राज्य सरकार को समर्पित किया जाएगा।

अध्याय-VIII

विश्वविद्यालय का समापन

39. **विश्वविद्यालय का समापन:**
- (1) यदि प्रायोजक निकाय अपने गठन या निगमन का संचालन करने वाले नियम के प्रावधानों के अनुसार स्वयं को भंग करने का प्रस्ताव देता है तो इसे कम-से-कम छह महीने पहले राज्य सरकार को सूचना देनी होगी।
 - (2) राज्य सरकार ऐसी सूचना प्राप्त होने पर, विश्वविद्यालय के प्रशासन के लिए प्रायोजक निकाय के विघटन की तारीख से लेकर विश्वविद्यालय में दाखिल किए गए अन्तिम बैच के विद्यार्थियों के द्वारा पाठ्यक्रम पूरा होने तक विश्वविद्यालय के प्रशासन के लिए आवश्यक व्यवस्था करेगी और प्रायोजक निकाय की जगह पर एक प्रशासक की नियुक्ति करके विश्वविद्यालय के काम-काज को जारी रख सकती है। इस प्रशासक को प्रायोजक निकाय की शक्तियाँ, कर्तव्य और कार्य सौंपे जाएँगे, जैसा की इस अधिनियम के तहत निर्धारित किया गया होगा।

40. विश्वविद्यालय का विघटन:

- (1) विश्वविद्यालय का विघटन करने की मंशा रखने वाले प्रायोजक निकाय को इस उद्देश्य से निर्धारित तरीके से राज्य सरकार को सूचना देनी होगी। राज्य सरकार उचित सोच-विचार के बाद जैसा निर्दिष्ट किया गया हो उस तरीके से विश्वविद्यालय को भंग कर सकती है:

परंतु विश्वविद्यालय का विघटन तभी प्रभावी होगा जब नियमित पाठ्यक्रमों वाले विद्यार्थियों ने उनके पाठ्यक्रम पूरे कर लिए हों और उन्हें डिग्री, डिप्लोमा और अवार्ड, जैसा भी मामला हो, प्रदान कर दिए गए हों।

- (2) विश्वविद्यालय का विघटन होने पर इसकी सभी परिसम्पत्तियाँ और देयताएँ निर्धारित तरीके से प्रायोजक निकाय में निहित होंगी।
- (3) जब राज्य सरकार उप-धारा (1) के तहत विश्वविद्यालय को विघटित करने का निर्णय लेगी, वह संचालक मण्डल की शक्तियों को नियत तरीके से समान उद्देश्यों वाले अन्य समाजों को तब तक निहित कर सकती है जब तक उप-धारा (1) के तहत विश्वविद्यालय का विघटन प्रभावी न हो जाए।

41. कतिपय परिस्थितियों में राज्य सरकार की विशेष शक्तियाँ:

- (1) जहाँ राज्य सरकार की यह राय है कि विश्वविद्यालय ने इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान, नियम, परिनियम या अध्यादेशों का उल्लंघन किया है या इस अधिनियम के तहत राज्य द्वारा जारी किए गए किसी दिशा-निर्देश का हनन किया है या विश्वविद्यालय में वित्तीय कुप्रबन्ध या खराब प्रशासन की कोई स्थिति उत्पन्न हुई है, तो यह पैंतालीस दिनों के भीतर प्रशासक की नियुक्ति न की जाने की वजह बताने के लिए विश्वविद्यालय को कारण बताओ नोटिस जारी करेगा।
- (2) उप-धारा (1) के तहत जारी नोटिस पर विश्वविद्यालय का उत्तर प्राप्त होने पर, यदि राज्य सरकार सन्तुष्ट है कि यह प्रथम दृष्टया इस अधिनियम के किसी प्रावधान, नियम, परिनियम या अध्यादेशों या इसके तहत जारी किए गए दिशा-निर्देशों के उल्लंघन या वित्तीय कुप्रबन्धन या खराब प्रशासन का मामला है, तो वह ऐसी जाँच का आदेश देगा जिसे वह आवश्यक समझे।
- (3) राज्य सरकार उप-धारा (2) के तहत इस प्रकार की किसी भी जाँच के प्रयोजन के लिए, किसी भी आरोप की जाँच करने के लिए और उस पर प्रतिवेदन बनाने के लिए जाँच अधिकारी या अधिकारियों की नियुक्ति करेगी।

- (4) उप-धारा (3) के तहत नियुक्त जाँच अधिकारी या अधिकारियों के पास वही शक्तियाँ होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में सुनवाई करते समय सिविल कोर्ट में निहित हैं, अर्थात्:-
- (क) किसी भी व्यक्ति को समन भेजना और उसकी उपस्थिति को लागू करना और शपथ दिलवाकर उसकी जाँच करना;
- (ख) किसी भी ऐसे दस्तावेज या किसी अन्य सामग्री की खोज और पेश करने की आवश्यकता जो साक्ष्य में पूर्वानुमेय हो;
- (ग) किसी भी न्यायालय या कार्यालय से किसी भी सार्वजनिक अभिलेख की माँग करना ।
- (5) उप-धारा (3) के तहत नियुक्त अधिकारी और अधिकारियों से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर यदि राज्य सरकार सन्तुष्ट है कि विश्वविद्यालय ने अधिनियम के सभी या किसी प्रावधान, नियम, परिनियम या अध्यादेशों या इसके तहत जारी किए गए दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया है या विश्वविद्यालय में वित्तीय कुप्रबन्धन या खराब प्रशासन की स्थिति उत्पन्न हुई है जो विश्वविद्यालय के अकादमिक मानक के लिए खतरा है तो वह एक प्रशासक की नियुक्ति कर सकती है ।
- (6) उप-धारा (5) के तहत नियुक्त किया गया प्रशासक इस अधिनियम के तहत शासी निकाय और प्रबन्ध मण्डल की सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा और विश्वविद्यालय के सभी मामलों की व्यवस्था तब तक करेगा जब तक नियमित पाठ्यक्रमों के अन्तिम बैच के विद्यार्थियों ने अपने पाठ्यक्रम पूरे न कर लिए हों और उन्हें डिग्री, डिप्लोमा और अवार्ड, जैसा भी मामला हो, प्रदान कर दिए गए हों ।
- (7) नियमित पाठ्यक्रमों के अन्तिम बैच के विद्यार्थियों को डिग्री, डिप्लोमा प्रदान किए जाने के बाद प्रशासक राज्य सरकार को इस आशय का एक प्रतिवेदन देगा।
- (8) उप-धारा (7) के तहत प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, राज्य सरकार विश्वविद्यालय को भंग कर देगी और विश्वविद्यालय भंग होने पर इसकी सभी परिसम्पत्तियाँ और देयताएँ प्रायोजक निकाय में निहित होंगी ।

अध्याय-IX

विविध

42. **अस्थायी प्रावधान:** नियमों और इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान में शामिल किसी अन्य बात के बावजूद-
- (1) प्रथम कुलपति और प्रति कुलपति, यदि कोई हों तो, की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा की जाएगी;
 - (2) प्रथम कुलसचिव और प्रथम मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा की जाएगी; तथा
 - (3) प्रथम प्रबन्ध मण्डल, प्रथम वित्त समिति और प्रथम अकादमिक परिषद् का गठन कुलाधिपति द्वारा किया जाएगा।
43. **राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति:**
- (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए नियम बना सकती है।
 - (2) इस धारा के तहत बनाए गए सभी नियमों को सदन के अगले सत्र के 30 दिनों के भीतर राज्य विधानसभा के समक्ष रखा जाएगा।
44. **समस्याओं को दूर करने की शक्ति:**
- (1) यदि इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो जैसा यह समस्या को दूर करने के लिए आवश्यक या व्यवहारिक प्रतीत होता है राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे प्रावधान बनाएगा जो इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न हों।
 - (2) इस धारा के तहत बनाया गया प्रत्येक आदेश, उसके बनाए जाने के बाद जितना जल्दी हो सके राज्य विधानमण्डल के समक्ष रखा जाएगा।

अनुसूची 'ए'

- (1) अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय अधिनियम, झारखण्ड पारित होने के दो साल के भीतर इसके मुख्य परिसर के लिए एकल क्षेत्र होने की स्थिति में कम-से-कम 10 एकड़ की जमीन और बहु-क्षेत्र होने की स्थिति में 25 एकड़ जमीन अधिग्रहित करें। एकीकृत परिसर में कुछ आम सुविधाएँ हो सकती हैं, जैसे सभागार, जलपानगृह छात्रावास आदि और इसके अनुसार जमीन की आवश्यकता भिन्न हो सकती है।

- (2) विश्वविद्यालय के प्रारंभ होने से 3 वर्ष के अन्दर, कम से कम 1,000 वर्ग मीटर का प्रशासनिक भवन, पुस्तकालय, व्याख्यान नाट्यशालाओं, प्रयोगशालाओं सहित 10,000 वर्ग मीटर का अकादमिक भवन, शिक्षकों के लिए पर्याप्त आवास, अतिथिशालायें, छात्रावास, जिसे सभी पाठ्यक्रम के कम से कम 25% विद्यार्थियों की कुल संख्या के समायोजन हेतु धीरे धीरे बढ़ाया जायेगा, का निर्माण करें। यदि विश्वविद्यालय अध्ययन के व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित कर रहा है, तो प्रचलित मानदंडों और सम्बन्धित वैधानिक निकाय के मानक लागू होंगे। मौजूदा संस्थानों को राज्य सरकार के निर्धारित मानकों को पूरा करने के लिए विस्तार/जीर्णोद्धार/नवीनीकरण का कार्य कराना अनिवार्य होगा।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

नलिन कुमार,

प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी

विधि विभाग, झारखंड, राँची ।

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

22 सितम्बर, 2022

संख्या-एल०जी०-04/2022-29-लेज० झारखंड विधान मंडल द्वारा यथा पारित और माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांक-19/09/2022 को अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2022 का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखंड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारत का संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा ।

THE AZIM PREMJI UNIVERSITY ACT, 2022 (Jharkhand Act, 09, 2022)

CHAPTER-1

PRELIMINARY

1. Short title, extent and commencement
2. Definitions

CHAPTER-II

UNIVERSITY AND THE SPONSORING BODY

3. Establishment of University
4. Properties of the University and its Application
5. Restrictions and obligations of the University
6. Objects of the University
7. University shall be open to all irrespective of sex, religion, class, colour, creed, or opinion
8. Powers and functions of the University
9. Bar to affiliation
10. Powers of the Sponsoring Body

CHAPTER-III

OFFICERS OF THE UNIVERSITY

11. The Visitor
12. Officers of the University
13. The Chancellor
14. The Vice-Chancellor
15. Removal of the Vice Chancellor
16. The Pro Vice-Chancellor
17. Registrar
18. The Chief Finance and Accounts Officer
19. Other Officers

CHAPTER-IV

AUTHORITIES OF THE UNIVERSITY

20. Authorities of the University
21. The Governing Body
22. The Board of Management
23. The Academic Council
24. The Finance Committee
25. Other Authorities
26. Disqualification for membership of an authority or body
27. Vacancies not to invalidate the constitution of, or the proceedings of any authority or body of University
28. Constitution of Committees

CHAPTER-V

STATUTES, ORDINANCE AND REGULATIONS

29. Statutes
30. Power to amend the Statutes
31. Regulations
32. Power to amend the Regulations
33. Ordinances
34. Powers of State Government to give directions

CHAPTER-VI
FUNDS OF UNIVERSITY

35. Endowment Fund
36. General Fund

CHAPTER-VII
ACCOUNTS, AUDIT AND ANNUAL REPORT

37. Annual Report
38. Annual Accounts and Audit

CHAPTER-VIII
WINDING UP OF UNIVERSITY

39. Winding up of University
40. Dissolution of University
41. Special powers of State Government under certain circumstances

CHAPTER-IX
MISCELLANEOUS

42. Transitional provisions
43. Power of the State Government to make Rules
44. Power to remove difficulties

SCHEDULE 'A'

An Act to provide for the establishment and incorporation of the **AZIM PREMJI UNIVERSITY** in the State of Jharkhand, and to confer the status of a Private University thereon and for matters connected therewith and incidental thereto;

WHEREAS it is expedient to provide for the establishment and incorporation of the **AZIM PREMJI UNIVERSITY** at RANCHI, Jharkhand promoted by Azim Premji Foundation for Development, a (not-for-profit) company licensed under Section 25 of the Companies Act, 1956 (now Section 8 of Companies Act, 2013) with its registered office at #134, Doddakannelli, Next to Wipro Corporate Office, Sarjapur Road, Bengaluru – 560 035; that is part of group of philanthropic institutions under the common identity of Azim Premji Foundation, and to confer the status of a Private University thereon and for the matters connected therewith and incidental thereto. The University shall be a multi-disciplinary institution committed unflinchingly to the service of society through excellence in teaching, development of knowledge, research and practice in the higher education. This Act shall embody the true spirit of the National Education Policy, 2020.

It is hereby enacted in the Seventy-Third year of the Republic of India, by the Legislature of Jharkhand, as follows:

CHAPTER-1**PRELIMINARY****1. Short Title, Extent and Commencement:**

- (1) This Act may be called "**The AZIM PREMJI UNIVERSITY ACT, 2022**".
- (2) It shall extend to the whole of the State of Jharkhand.
- (3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. Definitions: In this Act, unless the context otherwise requires:

- (a) "Academic Council" means the Academic Council of the University as specified in section 23 of the Act;
- (b) "Annual Report" means the Annual report of the University as referred to in section 37 of the Act;
- (c) "Board of Management" means the Board of Management of the University as constituted under section 22 of the Act;
- (d) "Campus" means the total area of the University in which it is established;
- (e) "Chancellor" means the Chancellor of the University appointed under section 13 of the Act;
- (f) "The Chief Finance and Accounts Officer" means the Chief Finance and Accounts Officer of the University appointed under section 18 of the Act;
- (g) "Constituent College" means a college or an institution maintained by the University;
- (h) "Employee" means employee appointed by the University; and includes teachers and others staff of the University or of a constituent college;
- (i) "Endowment Fund" means the endowment fund of the University established under section 35 of the Act;
- (j) "Faculty" means group of academic departments of similar disciplines;
- (k) "Fee" means collection made by the University from the students for the purpose of any course of study and incidental thereto, in the University;
- (l) "General Fund" means the General fund of the University established under section 36 of the Act;
- (m) "Governing Body" means the Governing Body of the University constituted under section 21 of the Act;
- (n) "National Assessment and Accreditation Council" means National Assessment and Accreditation Council, Bengaluru, an autonomous institution of the University Grants Commission;
- (o) "Prescribed" means prescribed by the Statutes and the rules made under this Act;
- (p) "Pro Vice-Chancellor" means the Pro Vice-Chancellor of the University appointed under section 16 of the Act;

- (q) "Regional Centre" means a centre established or maintained by the University for the purpose of co-ordinating and supervising the work of Study Centres in any region and for performing such other functions as may be conferred on such centre by the Board of Management;
- (r) "Registrar" means the Registrar of the University appointed under section 17 of the Act;
- (s) "Regulatory Body" means a body established by the Government of India for laying down norms and conditions for ensuring academic standards of higher education, such as University Grants Commission, All India Council for Technical Education, National Council for Teacher Education, Medical Council of India, Bar Council of India, Pharmacy Council of India, National Assessment and Accreditation Council, Indian Nursing Council, Indian Council of Agriculture Research, Council of Scientific and Industrial Research, etc. and includes the Government or any such body constituted by the Government of India or the State Government;
- (t) "Rules" means the rule of the University made under this Act;
- (u) "Schedule" means schedule appended to this Act;
- (v) "Sponsoring Body" in relation to the university means (i) a society registered under Societies Registration Act 1860, or (ii) a public trust registered under Indian Trust Act 1882, or (iii) a society or trust registered under the law of any other State, or (iv) a Section 25 Company incorporated under the Companies Act, 1956 or a Section 8 Company incorporated under the Companies Act, 2013;
- (w) "State Government" means the State Government of Jharkhand;
- (x) "Statutes", "Ordinances", and "Regulations" mean respectively, the Statutes, Ordinances and Regulations of the University made under this Act;
- (y) "Student of the University" means a person enrolled in the University for taking a course of study for a degree, diploma, or other academic distinction duly instituted by the university, including a research degree;
- (z) "Study Centre" means a centre established, maintained or recognized by the University for the purpose of advising, counselling or for rendering any other assistance required by the students;
- (aa) "Teacher" means a Professor, Associate Professor, Assistant Professor or such of the other person as may be appointed for imparting instruction or conducting research in the University or in a Constituent College or Institution and includes the Principal of a Constituent College or institution, in conformity with the norms prescribed by the University Grants Commission;
- (bb) "University Grants Commission" means the University Grants Commission established under the University Grants Commission Act, 1956;
- (cc) "University" means the AZIM PREMJI UNIVERSITY, Jharkhand established under this Act.
- (dd) "Vice-Chancellor" means the Vice-Chancellor of the University appointed under section 14 of the Act;
- (ee) "Visitor" means the Visitor of the University referred to in section 11 of the Act.

CHAPTER-II

UNIVERSITY AND THE SPONSORING BODY

3. Establishment of University:

- (1) There shall be established the University by the name of 'AZIM PREMJI UNIVERSITY'
- (2) The headquarters of the University shall be within the State of Jharkhand and shall be situated in the district of Ranchi.
- (3) The University shall start operation only after the State Government issues the letter of authorization.
- (4) The University shall meet the conditions mentioned in the Schedule A of the Act within the stipulated time.
- (5) The Governing Body, the Board of Management, the Academic Council, the Chancellor, the Vice-Chancellor, the Pro Vice-Chancellor, the Registrar, the Teachers, the Chief Finance and Accounts Officer and such other officers or members or authorities so long as they continue to hold such office or membership of the University hereby constitute a body corporate by the name of the University.
- (6) The University shall function as non-affiliating University and they shall not affiliate any other college or institute for the conferment of degree, diploma and for grant of certificate to the students admitted therein.
- (7) The University shall be a body corporate by the name 'AZIM PREMJI UNIVERSITY' and will have perpetual succession and common seal with power, subject to the provisions of this Act, to acquire and hold property, to contract and shall, by the said name, sue or be sued.
- (8) The University shall not receive any grant-in-aid or other financial assistance from the State Government or the Central Government.
- (9) Provided that, the State Government or the Central Government may provide financial support, including through grants or otherwise:-
 - (a) for research, development and other activities for which other State Government organizations are provided financial assistance; or
 - (b) for any specific research or programme based activity; and
 - (c) for the benefit of similar universities in the State subject to a change in State policy or otherwise.

Provided further that the University may receive any financial support from any other source.

4. Properties of the University and its Application:

- (1) On the establishment of the University, the land and other movable and immovable properties acquired, created, arranged, or built by the University for the purpose of the University in the State of Jharkhand shall vest in the University.
- (2) The land, building and other properties acquired for the University shall not be used for any purpose other than that for which the same is acquired.

- (3) The properties, movable or immovable, of the University shall be administered by the Board of Management in such manner as may be provided for by the regulations.
- (4) The properties in the name of the University under sub-section (1) shall be used for meeting the liabilities of the University in the event of dissolution or winding up of the University in such manner as may be prescribed in the rules.

5. Restrictions and obligations of the University:

- (1) The tuition fees for professional courses such as Engineering & Technology, Medicine, Management, etc., in the University shall be determined by the University under the supervision of the regulatory body notified by the State Government from time to time.
- (2) University admissions shall be open to all persons irrespective of caste, class, creed, gender or nation. Admission in the University shall be on the basis of merit and/or socio-economic disadvantage.
- (3) The University shall allow scholarship/fee waiver to at least five percent of the total strength, to the students belonging to poor and economically backward classes. The relevant criteria for determining the poor and economically backward classes shall be such as may be determined by the University from time to time.
- (4) The University shall compulsorily make provisions for reservation of seats for the students domiciled in the State of Jharkhand to the extent of at least twenty five percent of the total students in the University. The reservation of seats shall be regulated by the laws and orders of the State Government from time to time:
 Provided further that if adequate number of candidates are not available, the seats so reserved shall be filled by the candidates from the general pool.
- (5) The University shall appoint adequate number of teachers and officers in the University for maintaining the academic standards specified.
- (6) The University shall compulsorily place in the public domain every information in relation to the University which would be of interest to the students and other stakeholders *inter alia*, including the courses offered, fees and other charges, facilities and amenities offered, and such other relevant information.
- (7) The University shall endeavour on best effort basis to recruit people in non-teaching posts in the University from persons domiciled in the State of Jharkhand.
- (8) The convocations of the University may, for conferring degrees, diplomas or for any other purpose, be held in every academic year in the manner as may be prescribed by the Statutes.
- (9) The University shall seek accreditation from respective national accreditation bodies.
- (10) The University shall commence enrollment of students only after having the required infrastructure, teaching and non-teaching staff as per the prevailing norms of the University Grants Commission and other statutory bodies.
- (11) Notwithstanding anything contained in this Act, the University shall be bound to comply the conditions mentioned in Schedule "A" of this Act, and all the rules, regulations, norms, etc. of the regulating bodies of Government of India and State Government and provide all such facilities and assistance to such bodies as are required by them to discharge their duties and carry out their functions.

- 6. Objects of the University:** The objects of the University shall be to disseminate and advance knowledge, to build capacity and skills amongst people, and to contribute to the realization of the vision of the Constitution of India. It would do this through programs and activities that include teaching, research, outreach, and other actions to enable these objectives. The fields of activities will be chosen by the University to realize its objectives, and will include amongst others, Public Health and Education.
- 7. University shall open to all irrespective of sex, religion, class, colour, creed, or opinion:** No person shall be discriminated against or be excluded from any office of the University or from membership of any of its authorities or from admission to any course of study leading to a degree, diploma or other academic distinction on the grounds of sex, race, creed, class, caste, place of birth and religious belief or political or other opinion.
- 8. Powers and functions of the University:**
- (1) To administer and manage the University, establish, administer and manage its constituent colleges and centres for research, education, training, extension and outreach including continuing education, distance learning and e-learning at its campus within the State of Jharkhand;
 - (2) To provide for research, higher education, professional education, teaching training, extension and outreach including continuing education, distance learning and e-learning in the fields of science, technology, humanities, social sciences, education, management, commerce, law, pharmacy, healthcare and any other fields and disciplines;
 - (3) To conduct innovative experiments in educational technologies, teaching and learning methods, to collaborate with national and international institutions and to offer joint programmes with such institutes to constantly improve the delivery of education and to achieve international standards of education;
 - (4) To prescribe courses, curricula and methodologies including electronic and distance learning and provide for flexibility in the delivery of education.
 - (5) To hold examination and confer degree, diploma or grant certificate and other academic distinctions or title on persons subject to such condition as the University may determine and to withdraw or cancel any such degree, diploma or certificates and other academic distinction or titles in the manner prescribed by the Regulations;
 - (6) To institute and award fellowships, scholarships, medals and prizes;
 - (7) To confer honorary degrees or other distinction on the manner prescribed by the Statutes;
 - (8) To establish schools, centres, institutes, college and conduct the programme and courses of study as are in the opinion of the University, necessary for the furtherance of its objects;
 - (9) To establish and run schools for children and hospitals for the general populace in furtherance of its objectives of contributing in the fields of education and public health;
 - (10) To establish and run societies, trusts, and bodies, to enable the furtherance of its objectives;

- (11) To declare as a constituent college any college, centre, institution imparting education as are in the opinion on the University necessary for the furtherance of its objects or to establish a new constituent college, centre, institution for the purpose;
- (12) To provide for printing, publication and reproduction of research, educational material and other works and to organize exhibitions, conferences, workshops and seminars;
- (13) To establish knowledge resource centre;
- (14) To sponsor and undertake research and educational programmes in the fields of science, technology, humanities, social sciences, education, management, commerce, law, pharmacy, healthcare and any other areas;
- (15) To collaborate or associate with any educational institution with like or similar objects;
- (16) To establish campuses including virtual campus for the purpose of achieving the objectives of the University;
- (17) To undertake research and to obtain registration in respect of such research in the nature of patents, design rights and such or similar rights with the competent authorities;
- (18) To maintain linkages and collaborate with educational or other institutions in any part of the world having objects wholly or partially similar to those of the University, through exchange of students, researchers, faculty and staff and generally in such manner as may be conducive to their common objects;
- (19) To render services of research, training, consultancy and such other services as required for the purposes of the University;
- (20) To develop and maintain relationships with faculty, researchers, administrators and domain experts in science, technology, humanities, social sciences, education, management, law, commerce, pharmacy, healthcare and allied area for achieving the objects of the University;
- (21) To make special arrangement in respect to women and other disadvantaged students as the University may consider desirable;
- (22) To regulate the expenditure and to manage the finances and to maintain the accounts of the University;
- (23) To receive funds, movable and immovable properties, equipments, software and other resources from business, industry, other sections of society, national and international organization or any other source by transfers or as gifts, donations, benefactions or bequests for the purposes and objects of the University;
- (24) To establish, maintain and manage halls, hostels for students and quarters for the residence of faculty and staff;
- (25) To construct, manage and maintain centres, complexes, auditorium, buildings, stadium for the advancement of sports, cultural, co-curricular and extra-curricular activities;
- (26) To supervise and control the residence and regulate the discipline of students, faculty and staff of the University and to make arrangements for promoting their health, general welfare, social and cultural activities;
- (27) To fix, demand and receive or recover fees and such other charges as may be prescribed by the Statutes;

-
- (28) To institute and award fellowships, scholarships, prizes, medals and other awards;
 - (29) To purchase or to take on lease or accept as gifts, bequests, legacies or otherwise any land or building or works which may be necessary or convenient for the purpose of the University and on such terms and conditions as it may think fit and proper and to construct or alter and maintain any such building or works;
 - (30) To sell, exchange, lease or otherwise dispose of all or any portion of the properties of the University, movable or immovable, on such terms as it may think fit and consistent with the interest, activities and objects of the University;
 - (31) To draw and accept, to make and endorse, to discount and negotiate promissory notes, bills of exchange, cheques and other negotiable instruments;
 - (32) To raise and borrow money on bond, mortgages, promissory notes or other obligations or securities founded or based upon all or any of the properties and assets of the University or without any securities and upon such terms and conditions as it may think fit and to pay all expenses out of the funds of the University;
 - (33) To give up and cease from carrying on any classes or schools or centres of the University if it so deems fit;
 - (34) To invest the funds of the University or money entrusted to the University in or upon such securities and in such manner as it may deem fit and to transpose any investment as required from time to time;
 - (35) To make such statutes or regulations as may, from time to time, be considered necessary for regulating the affairs and the management of the University and to alter, modify and to rescind them;
 - (36) To make provisions for extracurricular activities for students and employees;
 - (37) To constitute for the benefit of the academic, technical, administrative and other staff, in such manner and subject to such conditions as may be specified by the regulations, schemes such as pension, insurance, provident fund and gratuity, as it may deem fit, and to make such grants as it may think fit for the benefit of any employees of the University, and to aid in establishment and support of the associations, institutions, fund, trusts and conveyance calculated to benefit the staff and the students of the University;
 - (38) To organize and conduct refresher courses, orientation courses, workshops, seminars and other programs for teachers, evaluators and other academic staff;
 - (39) To acquire and takeover and run the management of any other educational institution(s) with the prior approval of the Government;
 - (40) To delegate, if required, all or any of its powers to the Vice-Chancellor or Pro Vice-Chancellor of the University or any committee or any sub-committee or to any one or more members or its body or its officers;
 - (41) To do all such other acts and things as the University may consider necessary, conducive, or incidental to the attainment or enlargement of the aforesaid objects or anyone of them.

9. Bar to affiliation:

- (1) The University shall not admit any college or institution to the privilege of affiliation.
- (2) The University may open any off campus, offshore campus, and study centre, examination centre in or out of the State of Jharkhand only after the prior approval of University Grants Commission or such regulatory body established by the Government or State or Central Government, as the case may be:
Provided any such approval is mandated under any law in force.
- (3) Courses under Distance mode can be started only after the prior approval of University Grants Commission or such regulatory body established by the Government:
Provided any such approval is mandated under any law in force.

10. Powers of the Sponsoring Body: The Sponsoring Body shall have the following powers with reference to the University, each of which may be exercised by the Sponsoring Body at its discretion, namely:-

- (1) to appoint or re-appoint or terminate the appointment of the Chancellor;
- (2) to constitute the first Governing Body of the University;
- (3) to nominate the chairperson of the Governing Body;
- (4) to nominate three persons as members of the Governing Body;
- (5) to nominate two persons as the members of the Board of Management;
- (6) to determine the source of funds to be contributed to the Endowment Fund;
- (7) to determine the application and spending of monies by the University;
- (8) to resolve a conflict at the meeting of the Governing Body in the manner provided for in this Act.

CHAPTER-III**OFFICERS OF THE UNIVERSITY****11. The Visitor:**

- (1) The Governor of Jharkhand will be the Visitor of the University.
- (2) The Visitor shall, when present, preside at the convocation of the University for conferring degrees, diplomas, charters, designation and certificates.
- (3) The Visitor shall have the right to visit the University or any institution maintained by the University to ensure the standard of education, discipline, decorum and proper functioning of the University.

12. Officers of the University. The following shall be the officers of the University:

- (a) The Chancellor
- (b) The Vice-Chancellor
- (c) The Pro Vice-Chancellor
- (d) The Registrar
- (e) The Chief Finance and Accounts Officer; and
- (f) Such other officers as may be declared by the Statute to the officers of the University.

13. The Chancellor:

- (1) The Chancellor shall be appointed by the Sponsoring Body for a period of five years and on such terms and conditions as may be prescribed. On the expiry of the term, the Chancellor may be reappointed by the Sponsoring Body.
- (2) The Chancellor by virtue of his office shall be the head of the University.
- (3) The Chancellor shall preside over the meetings of the Governing Body and shall, when the Visitor is not present, preside over the convocation of the University for conferring degrees, diplomas, or other academic distinctions.
- (4) The Chancellor may in writing under his hand addressed to the head of the Sponsoring Body resign his office.
- (5) The Chancellor shall have the following powers, namely:
 - (a) to call for any information or record;
 - (b) to appoint the Vice-Chancellor;
 - (c) to remove the Vice-Chancellor in accordance with the provisions of this Act; and
 - (d) such other powers as may be conferred on him by this Act or Statutes made thereunder.

14. The Vice-Chancellor:

- (1) The Vice Chancellor shall be appointed by the Chancellor, on such terms and conditions as may be laid down by the Statutes, and shall hold office for a period of five years:

Provided that a person appointed as Vice Chancellor shall retire from office during tenure of his office or extension thereof, if any when he completes the age of 70 years:

Provided further that after the expiry of the term of five years, the Vice-Chancellor shall be eligible for re-appointment.
- (2) The Vice Chancellor shall be the principal executive and academic officer of the University and shall exercise general superintendence and control over the affairs of the University and shall execute the decisions of various authorities of the University.
- (3) In the absence of both the Visitor and the Chancellor, the Vice-Chancellor shall preside over the convocation of the University.
- (4) The Vice-Chancellor may, if he/she is of the opinion that immediate action is necessary on any matter, exercise any power conferred on any authority of the University by or under this Act and shall convey to such authority the action taken by him on such matters:

Provided that if the authority of the University or any person in the service of the University who is aggrieved by the action taken by the Vice-Chancellor under this sub section may prefer an appeal to the Chancellor within one month from the date of communication of such decision. The Chancellor may confirm, modify or reverse action taken by the Vice-Chancellor.
- (5) The Vice-Chancellor shall exercise such powers and perform such other functions as may be prescribed.

15. Removal of the Vice Chancellor:

- (1) If at any time and after such inquiry as may be considered necessary, it appears to the Chancellor that the Vice-Chancellor:
 - (a) has failed to discharge any duty imposed upon him by or under this Act, the Statutes, the Ordinances, or
 - (b) has acted in a manner prejudicial to the interests of the University, or
 - (c) is incapable of managing the affairs of the University,

then the Chancellor may, notwithstanding the fact that the term of office of the Vice-Chancellor has not expired, require the Vice-Chancellor, by an order in writing stating the reason therefor to resign his post from the date as may be specified in the order.
- (2) No orders under sub-section (1) shall be passed unless a notice stating the specific grounds on which such action is proposed, has been served after following the principles of natural justice and a reasonable opportunity to show cause against the proposed order has been given to the Vice-Chancellor.

16. The Pro Vice-Chancellor:

- (1) A Pro Vice-Chancellor may be appointed by the Vice-Chancellor with the written approval of the Chancellor in such manner and shall exercise such powers and perform such functions as may be prescribed.
- (2) The Pro Vice-Chancellor appointed under sub-section (1) shall discharge his duties in addition to his existing duties.
- (3) The Pro Vice-Chancellor shall assist the Vice-Chancellor in discharging his/her duties as and when required by the Vice-Chancellor.
- (4) The Pro Vice-Chancellor may get honorarium of such amount as may be determined by the Sponsoring Body.

17. Registrar:

- (1) The Registrar shall be appointed by the Vice-Chancellor with the written approval of the Chancellor in such manner and on such terms and conditions as may be laid down by the Statutes.
- (2) The Registrar shall have the power to enter into agreements, sign documents and authenticate records on behalf of the University and shall exercise such other power and perform such other functions as may be prescribed.
- (3) The Registrar shall be responsible for the due custody of the records and the common seal of the University and shall be bound to place before the Chancellor, the Vice-Chancellor or any other authority, all such information and documents as demanded.

18. The Chief Finance and Accounts Officer:

- (1) The appointment of the Chief Finance and Accounts Officer shall be made by the Vice-Chancellor with the written approval of the Chancellor in such manner and on such terms and conditions as may be laid down by the Statutes.
- (2) The Chief Finance and Accounts Officer shall exercise such powers and perform such duties as may be specified by the Statutes.

19. Other Officers:

Manner of appointment and power and duties of the other officers of the University shall be such as may be specified by Statutes.

CHAPTER-IV

AUTHORITIES OF THE UNIVERSITY

20. Authorities of the University:

The following shall be the authorities of the University:

- (a) The Governing Body;
- (b) The Board of Management;
- (c) The Academic Council;
- (d) The Finance Committee;
- (e) Such other authorities as may be declared by the Statutes to be the authorities of the University.

21. The Governing Body:

- (1) The Governing Body shall have the following members, namely:
 - (a) the Chancellor;
 - (b) the Vice-Chancellor;
 - (c) the Secretary to the Government, Department of Higher and Technical Education, Jharkhand, or his nominee;
 - (d) three persons nominated by the Sponsoring Body; and
 - (e) one eminent expert in the field of management or technology or education or health from outside the University, nominated by the Chancellor;
 - (f) one expert of finance, nominated by the Chancellor.
- (2) The Registrar and Pro Vice-Chancellor shall always be non-voting invitees on the Governing Body.
- (3) The tenure of office of the members of the Governing Body, appointment of members other than the Secretary to the Government, Department of Higher and Technical Education, renewal and removal etc., shall be as may be laid down by the Statutes.
- (4) All meetings of the Governing Body shall always be chaired by the Chancellor and in his absence by any one of the nominees of the Sponsoring Body and where the Sponsoring Body has not nominated any nominees, then by the Vice-Chancellor.
- (5) The Governing Body shall be the supreme authority and principal governing body of the University. It shall have the following powers, namely:
 - (a) to provide general superintendence and directions and to control the functioning of the University by using all such powers as are provided by this Act, Statutes, Ordinances, Regulations or Rules;
 - (b) to review the decisions of other authorities of the University in case they are not in conformity with the provisions of Act, Statutes, Ordinances, Regulations or Rules;
 - (c) to approve the budget and annual report of the University;

- (d) to lay down the extensive policies to be followed by the University;
 - (e) to recommend to the Sponsoring Body for the dissolution of the University if a situation arises when there is no smooth functioning of the University in spite of best efforts;
 - (f) to take decisions and steps as are found desirable for effectively carrying out the objects of the University; and
 - (g) such other powers as may be specified by the Statutes.
- (6) The Governing Body shall meet at least once in a calendar year in the manner specified in the Statutes.
 - (7) The quorum of the meeting shall be three members attending and voting at such meeting:
Provided that in the absence of the Chancellor or one nominee of the Sponsoring Body, the Vice-Chancellor, shall always be necessary to form the quorum for any meeting of the Governing Body.
 - (8) No resolution shall be passed or decision be taken by the Governing Board at their meeting, in respect of any Agenda Matters except pursuant to an affirmative vote by the Chancellor in favour of the Agenda matter.
 - (9) In the event of any conflict of opinion at a meeting of the Governing Body, the issue shall be referred to the Sponsoring Body and the decision of the Sponsoring Body in respect of such issue shall be final and binding on the University.

22. The Board of Management:

- (1) The Board of Management shall consist of the following members, namely:
 - (a) the Vice-Chancellor;
 - (b) the Pro Vice-Chancellor;
 - (c) the Registrar;
 - (d) two nominees of the Sponsoring Body;
 - (e) two head of department/school or faculty or other members of the University nominated by the Vice-Chancellor.
- (2) The Vice-Chancellor shall be the Chairperson of the Board of Management.
- (3) The powers and functions of the Board of Management shall be such as may be specified by the Statutes.
- (4) The quorum for the meeting of the Board of Management shall be such as may be specified by the Statutes;
- (5) All meetings of the Boards of Management shall always be chaired by the Vice-Chancellor and in the absence of the Vice-Chancellor, by the nominee of the Sponsoring Body and where the Sponsoring Body has not nominated any nominees, then by any other member.
- (6) In the event of a conflict of opinion at a meeting of the Board of Management, the issue shall be referred to the Chancellor and the decision of the Chancellor in respect of such issue shall be final and binding on the University.

23. The Academic Council:

- (1) The Academic Council shall consist of the Vice-Chancellor and such members as may be specified by the Statutes.
- (2) The Vice-Chancellor shall be the Chairperson of the Academic Council.
- (3) The Academic Council shall be the principal academic body of the University and shall, subject to the provisions of this Act, Statutes, Ordinances, Regulations or Rules, coordinate and exercise general supervision over the academic policies of the University.
- (4) The quorum for meetings of the Academic Council shall be such as may be specified by the Statutes.

24. The Finance Committee:

- (1) The Finance Committee shall be the principal financial body of the University to take care of the financial matters.
- (2) The constitution, powers and functions of the Finance Committee shall be such as may be prescribed in the Statutes.

25. Other Authorities: The constitution, powers and functions of other authorities of the University, shall be such as may be prescribed by the statutes.

26. Disqualification for membership of an authority or body: A person shall be disqualified from being a member of any of the authorities or bodies of the University, if he/she:

- (a) is of unsound mind and stands so declared by a competent court;
- (b) is an undischarged insolvent;
- (c) has been convicted of any offence involving moral turpitude;
- (d) has been punished for indulging or in promoting unfair practice in the conduct of any examination, in any form, anywhere.

27. Vacancies not to invalidate the constitution of, or the proceedings of any authority or body of University: No act or proceedings of any authority of the University shall be invalid merely by reason of any vacancy in or defect in the constitution of any authority or body of the University.

28. Constitution of Committees: The authorities of the University may constitute such committee with such terms of reference as may be necessary for specific tasks to be performed shall be such as may be prescribed by the Statutes.

CHAPTER-V**STATUTES, ORDINANCE AND REGULATIONS****29. Statutes:**

- (1) Subject to the provisions of this Act, and the rules made thereunder, the Statutes may provide for all or any of the following matters, namely:
 - (a) the constitution, powers and functions of the authorities and other bodies of the University as maybe constituted from time to time;
 - (b) the terms and conditions of appointment of the Vice-Chancellor and Pro Vice-Chancellor; their powers and functions;

- (c) the manner and terms and conditions of appointment of the Registrar and Chief Finance and Accounts Officer, their powers and functions;
 - (d) the manner and terms and conditions of appointment of other officers and teachers and their powers and functions;
 - (e) the terms and conditions of service of employees of the University;
 - (f) the procedure for arbitration in cases of disputes between employees or students and the University;
 - (g) the procedure for conferment of honorary degrees;
 - (h) the provisions regarding exemption from payment of tuition fee and awarding scholarships and fellowships to the students;
 - (i) creation, abolition or restructuring of departments and faculties;
 - (j) the manner of co-operation with other universities or institutions of higher learning;
 - (k) framing of policy for admission, including regulation of reservation of seats;
 - (l) procedure for creation and abolition of posts;
 - (m) fees to be charged from students; and
 - (n) other matters which may be specified.
- (2) The First Statutes of the University shall be made by the Board of Management and submitted to the Governing Body for its approval.
 - (3) The Governing Body shall consider the First Statutes, submitted by the Board of Management and shall approve it within sixty days from the date of its receipt, with or without modifications as it may deem necessary.
 - (4) The Board of Management shall communicate its agreement to the First Statutes as approved by the Governing Body, and if it desires not to give effect to any or all the modifications made by the Governing Body under sub-section (3), it may give reasons therefore and after considering such reason, the Governing Body may or may not accept the suggestions made by the Board of Management.
 - (5) The University shall publish the First Statutes, as finally approved by the Governing Body, and thereafter, the First Statutes shall come into force from the date of such publication.

30. Power to amend the Statutes: The Board of Management, may, with the approval of the Governing Body, make new or additional Statutes or amend or repeal the Statutes

31. Regulations:

- (1) Subject to the provisions of this Act, the regulations may provide for or all or any of the following matters, namely :-
 - (a) admission of students to the University and their enrolment as such;
 - (b) the courses of study to be laid down for all degrees and other academic distinctions of the University;
 - (c) the award of degrees and other academic distinctions;

- (d) the conditions of the award of fellowships, scholarships, studentships, medals and prizes;
- (e) the conduct of examinations and the conditions and mode of appointment and duties of examining bodies, examiners invigilators, tabulators and moderators;
- (f) all other matters as may be provided in the Statutes under the Act.
- (2) The Regulations shall be made by the Academic Council and approved by the Board of Management.
- 32. Power to amend the Regulations:** The Academic Council, may, with the approval of the Board of Management, make new or additional regulations or amend or repeal the regulations.
- 33. Ordinances:** The ordinances can be made, amended, repealed by the Board of Management of the University to be subsequently ratified by the Governing Body.
- 34. Powers of State Government to give directions:**
- (1) The State Government may, for the purpose of ascertaining the standards of teaching, examination and research or any other matter relating to the University, cause an assessment to be made in such manner as may be prescribed, by such person or persons as it may deem fit.
- (2) The State Government shall communicate its recommendations to the University on the basis of such assessment for corrective action. The University may adopt such corrective measures and make efforts so as to ensure the compliance of the recommendations.
- (3) The State Government may give such directions as it may deem fit if the University fails to comply with the recommendation made under sub-section (2) within a reasonable time. The directions given by the State Government shall be immediately complied by the University.

CHAPTER-VI

FUNDS OF UNIVERSITY

- 35. Endowment Fund:**
- (6) The Sponsoring Body shall establish an Endowment Fund for the University with an amount specified in the Letter of Intent.
- (7) The Endowment Fund shall be used as security deposit to ensure that the University complies with the provisions of this Act and functions as per the provisions of this Act, the Statutes and the Ordinances. The State Government shall have the power to forfeit a part or whole of the Endowment Fund in case the University or the Sponsoring Body contravenes the provisions of this Act, Statutes, the Ordinances, the regulations or the rules made there under.
- (8) The University may utilize the income from the Endowment Fund for the development of infrastructure of the University and not for meeting the recurring expenditure of the University.
- (9) The University shall have power to invest the Endowment Fund in such manner as may be prescribed.
- (10) Except in the event of dissolution of the University, in no other circumstances can any moneys be transferred from the Endowment Fund for other purposes.

36. General Fund:

- (3) The University shall establish a fund, which shall be called the General Fund to which the following shall be credited, namely:
 - (a) Fees and other charges received by the University;
 - (b) Any contribution made by the Sponsoring Body;
 - (c) Any income received from consultancy and other work undertaken by the University in pursuance of its objective;
 - (d) Trusts, bequests, donations, endowments and any other grants; and
 - (e) All other sums received by the University.
- (4) The funds credited to the General Fund shall be applied to meet all the recurring expenditure of the University.

CHAPTER-VII**ACCOUNTS, AUDIT AND ANNUAL REPORT**

37. Annual Report: The Annual Report of the University shall be prepared by the University which shall include among other matters, the steps taken by the University towards the fulfillment of its objects and shall be submitted to the State Government.

38. Annual accounts and Audit:

- (3) The annual accounts including balance sheet of the University shall be prepared by the University and the annual accounts shall be audited at least once in every year by the auditors appointed by the University.
- (4) A copy of the annual accounts together with the audit report shall be submitted to the State Government before 31st December following close of the financial year in 31st March of every year.

CHAPTER-VIII**WINDING UP OF UNIVERSITY****39. Winding up of University:**

- (3) If the Sponsoring Body proposes to dissolve itself according to the provisions of law governing its constitution or incorporation; it shall give at least six months prior notice to the State Government.
- (4) The State Government shall, on receipt of such notice make such arrangements as may be necessary, for the administration of the University from the date of dissolution of the Sponsoring Body till the completion of syllabus by the last batch of students admitted to the University and may also cause the functioning of the University to continue by appointing an administrator in place of the Sponsoring Body, who shall be entrusted with the powers, duties and functions of the Sponsoring Body, as prescribed under this Act.

40. Dissolution of University:

- (4) The Sponsoring Body who intends to dissolve the University shall give a notice to that effect in the prescribed manner to the State Government. The State Government, after due consideration, may dissolve the University in the manner as may be prescribed:
Provided that the dissolution of the University shall have effect only after the last batches of students of the regular courses have completed their courses and they have been awarded degrees, diplomas or, as the case may be, awards.
- (5) On the dissolution of the University all the assets and liabilities of the University shall vest in the Sponsoring Body in the manner as may be prescribed.

- (6) Where the State Government decides under sub-section (1) to dissolve the University, it may vest the powers of the Governing Body in the prescribed manner to other societies having similar objects till the dissolution of the University takes effect under the proviso to sub-section (1).

41. Special powers of State Government under certain circumstances:

- (9) Where the State Government is of the opinion that the University has contravened any of the provisions of this Act, the Rules, the Statutes or the Ordinances made thereunder or has violated any of the direction issued by it under this Act or a situation of financial mismanagement or mal-administration has arisen in the University, it shall issue the notice requiring the University to show cause within forty-five days as to why an administrator be not appointed.
- (10) On receipt of reply of the University on the notice issued under sub section (1), if the State Government is satisfied that there is a prima facie case of contravention of any of the provision of this Act, the Rules, the Statutes or the Ordinances made thereunder or violation of directions issued by it under this Act or there is financial mismanagement or maladministration, it shall make an order of such inquiry as it may consider necessary.
- (11) The State Government shall, for the purposes of any such inquiry under sub-section (2), appoint an inquiry officer or officers to inquire into any of the allegations and to make report thereon.
- (12) The inquiry officer or officers appointed under sub-section (3) shall have the same powers as are vested in a Civil Court under the Code of Civil Procedure, 1908 while trying a suit in respect of the following matters, namely:-
- (a) Summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;
 - (b) Requiring the discovery and production of any such document or any other material as may be predicable in evidence;
 - (c) Requisitioning any public record from any court or office.
- (13) On receipt of the inquiry report from the officer or officers appointed under subsection (3), if the State Government is satisfied that the University has contravened all or any of the provisions of this Act, the Rules, the Statutes or the Ordinances made thereunder or has violated any of the directions issued by it under this Act or a situation of financial mismanagement and maladministration has arisen in the University which threatens the academic standard of the University, it may appoint an administrator.
- (14) The administrator appointed under sub-section (5) shall exercise all the powers and perform all the duties of the Governing Body and the Board of Management under this Act and shall administer the affairs of the University until the last batch of the students of the regular courses have completed their courses and they have been awarded with degrees, diplomas or, as the case may be, awards.
- (15) After having been awarded the degrees, diplomas or, as the case may be, to the last batches of the students of the regular courses, the administrator shall make a report to that effect to the State Government.
- (16) On receipt of the report under sub-section (7), the State Government shall dissolve the University and on dissolution of the University, all the assets and liabilities of the University shall vest in the Sponsoring Body.

CHAPTER-IX
MISCELLANEOUS

- 42. Transitional provisions:** Notwithstanding anything contained in any other provisions of this Act and the Statues,-
- (4) the first Vice-Chancellor and Pro-Vice-Chancellor, if any shall be appointed by the Chancellor;
 - (5) the first Registrar and the first Chief Finance and Accounts Officer shall be appointed by the Chancellor; and
 - (6) the first Board of Management, the first Finance Committee and the first Academic Council shall be constituted by the Chancellor.
- 43. Power of the State Government to make Rules:**
- (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act.
 - (2) All rules made under this section shall be laid before the state legislature within 30 days of the next session of the house.
- 44. Power to remove difficulties:**
- (3) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order published in the Official Gazette, make provisions not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty.
 - (4) Every order made under this section shall, as soon as may be after it is made, be laid before the State Legislature.

SCHEDULE 'A'

- (3) Acquire not less than 10 acres of land for its main Campus, if single-domain, and 25 acres of land, if multi-domain within two years of the passing of the Azim Premji University Act, Jharkhand. An integrated campus may have certain facilities in common such as auditorium, cafeteria, hostels, etc. and hence the land requirement may vary accordingly.
- (4) Construct administrative building of at least 1,000 sq. mtrs., academic building including library, lecture theatres, laboratories of at least 10,000 sq. mtrs., adequate residential accommodations for teachers, guest houses, hostels which shall gradually be increased to accommodate at least 25% of the total student's strength in each course, within 3 years from the start of the University. In case the University is conducting professional programmes of study, prevailing norms and standards of respective statutory body shall be applicable. Existing institutes must undertake expansion/renovation/restructuring to meet the prescribed norms of the State Government.

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

नलिन कुमार,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची ।
